



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276636
CG-DL-E-30092026-276636

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड III
PART I—Section III

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02|
No. 02|

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2026/भाद्र 26, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026/BHADRA 26, 1948

रक्षा मंत्रालय
(सैन्य कार्य विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 मई, 2026

नियमावली

क्रम सं. बी/591111/सीडीएसई (II)-2026/आरटीजी सीडीएसई 16(1)2026-डीएमए (एजी-II).— संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 13 सितंबर, 2026 को सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2026 आयोजित की जाएगी।

पाठ्यक्रम का नाम	रिक्तियों की अनुमानित संख्या (नोट-iii देखें)
(क) भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में - जुलाई, 2027 को प्रारंभ होने वाला 163 वां (डीई) पाठ्यक्रम	100 {एनसीसी 'सी' (सेना स्कंध) प्रमाण-पत्र धारकों के लिए आरक्षित 13 रिक्तियां सम्मिलित हैं}
(ख) भारतीय नौसेना अकादमी, एलिमाला- जुलाई, 2027 में आरंभ होने वाला कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा) /हाइड्रो पाठ्यक्रम	26 {एनसीसी 'सी' (नौसेना स्कंध) प्रमाण-पत्र धारकों के लिए 06 रिक्तियों तथा हाइड्रो पाठ्यक्रम हेतु 01 रिक्ति सहित}
(ग) वायु सेना अकादमी, हैदराबाद- जुलाई, 2027 से प्रारंभ होने वाला (उड़ान पूर्व) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अर्थात् 222 वां एफ (पी) पाठ्यक्रम	32 {एनसीसी 'सी' (वायुसेना स्कंध) प्रमाण-पत्र धारकों के लिए आरक्षित 03 रिक्तियों सहित (एनसीसी विशेष प्रविष्टि के माध्यम से)}

(घ) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई (मद्रास) में अक्टूबर, 2027 में आरंभ होने वाला - 126 वाँ एसएससी (पुरुष) (एनटी) (यूपीएससी) पाठ्यक्रम।	275
(च) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई (मद्रास) में अक्टूबर, 2027 में आरंभ होने वाला - 126 वाँ एसएससी महिला (एनटी) (यूपीएससी) पाठ्यक्रम	18

नोट (i) मौजूदा और भविष्य के परिदृश्यों में सेना की परिचालन और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना विभिन्न प्रविष्टियों के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग रिक्तियों को प्रकाशित करती है। हालांकि, एसएससी (एनटी) पाठ्यक्रमों के अनुसार पुरुषों और महिलाओं की श्रेणियों के लिए रिक्तियों को एक समान अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जा रहा है और प्रशासनिक उद्देश्य के लिए एक समान लिखित परीक्षा के माध्यम से परीक्षण किया जा रहा है, तथापि एसएससी (एनटी) पुरुष और एसएससी (एनटी) महिला अलग-अलग प्रविष्टियाँ हैं और इन दोनों श्रेणियों के लिए चयन अलग-अलग लेकिन लिंग के आधार पर अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार किया जाता है। एसएससी (एनटी) पुरुष और एसएससी (एनटी) महिला श्रेणियों के लिए लिखित परिणाम और अंतिम योग्यताक्रम सूचियाँ भी अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार अलग-अलग तैयार की जाएंगी।

टिप्पणी: (ii) परीक्षा के आयोजन की उपर्युक्त तिथि में यदि आवश्यक हो तो, आयोग के विवेकानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

टिप्पणी: (iii) रिक्तियों की उपरोक्त संख्या अनंतिम है तथा संगठन की तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार सेवा मुख्यालय द्वारा चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

ध्यान दें: (I) (क) उम्मीदवारों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल के संबंधित कॉलम में उन सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख करें जिन सेवाओं के संबंध में वह अपने वरीयता क्रम के अनुसार विचार किए जाने के इच्छुक हैं। पुरुष उम्मीदवार को यह परामर्श दिया जाता है कि वह नीचे पैरा (ख) एवं (ग) में बताई गई शर्तों के अनुसार अपनी इच्छानुसार सभी वरीयताओं का उल्लेख करें, ताकि योग्यताक्रम में उनके रैंक को देखते हुए नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर यथोचित विचार किया जा सके।

(ख) (i) यदि कोई पुरुष उम्मीदवार केवल अल्पकालिक सेवा कमीशन (सेना) के लिए आवेदन कर रहा है तो उसे केवल अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) को अपने विकल्प के रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए। तथापि, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) के अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम के साथ-साथ भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी तथा वायु सेना अकादमी के लिए स्थायी कमीशन पाठ्यक्रम के प्रतियोगी पुरुष उम्मीदवारों को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अपने अंतिम विकल्प के रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार द्वारा उच्च वरीयता दिए जाने पर भी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अंतिम विकल्प माना जाएगा।

(ख) (ii) महिला उम्मीदवार अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) में केवल अल्पकालिक सेवा कमीशन (एसएससी) के लिए ही पात्र हैं। उन्हें ओटीए को ही अपनी एकमात्र वरीयता के रूप में दर्शाना चाहिए।

(ग) वायु सेना अकादमी में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार, वायु सेना अकादमी (एएफए) को ही अपना प्रथम विकल्प दर्शाएं, क्योंकि केंद्रीय संस्थापना/विमानन चिकित्सा संस्थान में उनके लिए कम्प्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) तथा/अथवा वायु सेना चिकित्सा परीक्षण आयोजित किया जाएगा। वायु सेना अकादमी को द्वितीय/तृतीय आदि विकल्प दर्शाए जाने की स्थिति में उसे अमान्य समझा जाएगा।

(घ) उम्मीदवार यह नोट करें कि नीचे टिप्पणी (II) में बताई गई परिस्थितियों के अतिरिक्त, केवल उन पाठ्यक्रमों में नियुक्ति के लिए उन पर विचार किया जाएगा जिसके लिए उन्होंने अपनी वरीयता दी होगी और अन्य किसी पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) के लिए नहीं। सेवा आवंटन हेतु विचार किए जाने के लिए उम्मीदवार द्वारा कम से कम एक वरीयता का चयन करना अनिवार्य है।

(ड.) किसी भी उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन प्रपत्र में पहले से निर्दिष्ट वरीयताओं में जोड़ने/परिवर्तन करने के बारे में किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी वरीयता पर भी तभी विचार किया जाएगा जब सेना मुख्यालय

द्वारा उम्मीदवार को पहली वरीयता नहीं दी गयी हो। जब उम्मीदवार को पहली वरीयता दी गयी हो तथा उम्मीदवार ने उसे लेने से इंकार कर दिया हो, तो नियमित कमीशन प्रदान करने हेतु अन्य सभी वरीयताओं के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

ध्यान दें (II) भारतीय सैनिक अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी/वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रमों के लिए अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त शेष सभी उम्मीदवारों, जिन्हें रिक्तियों की कमी के कारण उक्त पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं किया जा सका था, पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन, एसएससी (एनटी) के लिए विचार किया जाएगा, भले ही उन्होंने इस पाठ्यक्रम के लिए अपना विकल्प प्रदान न किया हो:-

- (i) एसएससी (एनटी) के लिए आवेदन करने वाले तथा अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर जारी करने के बाद यदि रिक्तियां उपलब्ध हों,
- (ii) अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त शेष उम्मीदवार, एसएससी (एनटी) ज्वाइन करने के इच्छुक हों।
- (iii) अंतिम रूप से अर्हक एवं इच्छुक ऐसे उम्मीदवारों को एसएससी (एनटी) का चयन करने वाले अंतिम उम्मीदवार के बाद उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अध्यक्षीन योग्यताक्रम में रखा जाएगा। तदनुसार, ऐसे शेष उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाएगा।

टिप्पणी - (1) एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र [सेना स्कंध(वरिष्ठ प्रभाग)/वायु सेना स्कंध/नौसेना स्कंध] धारक उम्मीदवार अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम की रिक्तियों के लिए भी प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं चूंकि उनके लिए इस पाठ्यक्रम में कोई आरक्षण नहीं है अतः इस पाठ्यक्रम में रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की तरह ही माना जाएगा। जिन उम्मीदवारों को अभी एनसीसी में 'सी' प्रमाण-पत्र [सेना स्कंध(वरिष्ठ प्रभाग)/वायु सेना स्कंध/नौसेना स्कंध] की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, किंतु वे आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता में बैठने के लिए अन्यथा पात्र हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र [सेना स्कंध(वरिष्ठ प्रभाग)/वायु सेना स्कंध/नौसेना स्कंध] की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो कि आईएमए/एसएससी का प्रथम विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के मामले में रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (थल सेना)/भर्ती महानिदेशालय (भर्ती ए), सीडीएसई एण्ट्री, (एसएससी पुरुष उम्मीदवार और एसएससी महिला एण्ट्री, महिला उम्मीदवारों के लिए) वेस्ट ब्लॉक - III, आर के पुरम, नई दिल्ली- 110066 तथा नौसेना का प्रथम विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के मामले में एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना)/डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना का प्रथम विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के मामले में कार्मिक निदेशालय (अफसर), कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन नं. 23010231 एक्सटेंशन 7645/7646/7610 को 13 मई, 2027 तक पहुंच जाएं। आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता की पात्रता हेतु उम्मीदवार ने राष्ट्रीय कैडेट कोर में सीनियर डिवीजन सेना स्कंध/वायु सेना/नौसेना स्कंध में न्यूनतम 3 शैक्षणिक वर्ष की सेवा की हो और आयोग के कार्यालय में आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को भारतीय सैन्य अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी/वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रम के लिए उसे राष्ट्रीय कैडेट कोर से मुक्त हुए 24 माह से अधिक न हुए हों।

टिप्पणी - (2): भारतीय सैन्य अकादमी पाठ्यक्रम/वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रम/भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम में एनसीसी (सेना स्कंध/वरिष्ठ प्रभाग (सीनियर डिवीजन)/वायु सेना स्कंध/नौसेना स्कंध) के 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित समझा जाएगा और उन्हें सामान्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा। आयोग द्वारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। (क) परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्यक्रम के विवरण (ख) सशस्त्र बलों में अधिकारियों की चिकित्सा परीक्षा के लिए चिकित्सा मानक एवं प्रक्रिया तथा (ग) भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि की संक्षिप्त सूचना क्रमशः परिशिष्ट - I, II और III, में विस्तार से दिए गए हैं।

2. पात्रता की शर्तें:

(क) राष्ट्रीयता : उम्मीदवार निम्नानुसार होना चाहिए:-

- (i) भारत का नागरिक हो, या
- (ii) नेपाल की प्रजा हो, या

- (iii) भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, यूगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य, जाम्बिया, मालावी, जायरे तथा इथियोपिया या वियतनाम से प्रव्रजन करके आया हो।

वर्तते उपर्युक्त श्रेणी (ii) और (iii) के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसे भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया हो।

लेकिन यह पात्रता प्रमाण-पत्र नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए आवश्यक नहीं होगा।

जिस उम्मीदवार के लिए पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है उसे उक्त परीक्षा में इस शर्त पर अनंतिम रूप से प्रवेश दिया जा सकता है, कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम की घोषणा से पहले सरकार द्वारा उसे आवश्यक प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया जाए।

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति:-

(i) भारतीय सैन्य अकादमी के लिए : आयु: 19 से 24 वर्ष। ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म 01 जुलाई, 2003 से पहले तथा 01 जुलाई, 2008 के बाद न हुआ हो।

(ii) भारतीय नौसेना अकादमी के लिए : आयु: 19 से 24 वर्ष। ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म 01 जुलाई, 2003 से पहले तथा 01 जुलाई, 2008 के बाद न हुआ हो।

(iii) वायु सेना अकादमी के लिए :

आयु: 01 जुलाई, 2007 को 20 से 24 वर्ष। अर्थात् उनका जन्म 01 जुलाई, 2003 से पहले 01 जुलाई, 2007 के बाद न हुआ हो। डीजीसीए (भारत) द्वारा जारी वैध एवं वर्तमान वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस धारकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 26 वर्ष तक छूट प्रदान की जा सकती है अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 01 जुलाई, 2001 से पहले और 01 जुलाई, 2007 के बाद न हुआ हो।

नोट: 25 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवार अविवाहित होने चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान विवाह की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। 25 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु के विवाहित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं परन्तु प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें न ही विवाहित अधिकारियों हेतु निर्धारित आवास दिया जाएगा और न ही वे परिवार के साथ बाहर रह सकते हैं।

(iv) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए (पुरुषों के लिए एसएससी पाठ्यक्रम): आयु: 19 से 25 वर्ष। केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं, जिनका जन्म 01 जुलाई, 2002 से पहले तथा 01 जुलाई, 2008 के बाद न हुआ हो।

(v) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए (महिलाओं के लिए एसएससी गैर-तकनीकी पाठ्यक्रम): आयु: 19 से 25 वर्ष। अविवाहित महिलाएं, संतानहीन विधवाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो, तथा संतानविहीन तलाकशुदा महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो, (तलाक के कागजात होने पर) पात्र हैं। उनका जन्म 01 जुलाई, 2002 से पहले तथा 01 जुलाई, 2008 के बाद न हुआ हो।

नोट : तलाकशुदा/विधुर पुरुष उम्मीदवार आईएमए/आईएनए/एएफए/ओटीए, चेन्नई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अविवाहित पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे और तदनुसार वे इन पाठ्यक्रमों के लिए पात्र नहीं हैं।

आयोग जन्म की वह तिथि स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और यह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज हो। आयु के संबंध में अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथ पत्र, नगर निगम से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण, सेवा अभिलेख तथा अन्य ऐसे प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख उल्लिखित नहीं होती या आयु के केवल पूरे किए गए वर्ष या वर्ष और महीने ही दिए गए होते हैं। ऐसे मामलों में, उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस संस्थान के हैड मास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण पत्र

की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए, जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण पत्र में उस संस्थान के दाखिला रजिस्टर में दर्ज उसके जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

टिप्पणी - 1 : उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार के जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी - 2 : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए, ऑन-लाइन आवेदन प्रपत्र में प्रस्तुत की गई जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजनार्थ उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद (या आयोग की बाद की किसी अन्य परीक्षा में) उसमें परिवर्तन करने की अनुमति किसी भी आधार पर नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी - 3 : उम्मीदवारों को परीक्षा से संबंधित यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण के संबंधित कॉलम में अपनी जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद के किसी चरण में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि से अलग पाई जाती है तो आयोग द्वारा नियमानुसार उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

टिप्पणी - 4: उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि एक बार जमा कर दिए जाने पर किसी भी परिस्थिति में सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में कुछ भी जोड़ने/हटाने/कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। तथापि, आयोग उम्मीदवारों को एक बार अपने यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को अद्यतन या संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि यूआरएन विवरण में किए गए बदलाव, पहले से जमा हो चुके आवेदनों में दिखाई नहीं देंगे। अद्यतन सूचना केवल उन आवेदनों पर लागू होगी जो उम्मीदवार द्वारा आवश्यक बदलाव करने और यूआरएन विवरण को सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद जमा किए गए हैं।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं :

- (i) भारतीय सैन्य अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई के लिए: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष योग्यता।
- (ii) भारतीय नौसेना अकादमी के लिए : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कोर या इलेक्ट्रिक विषय (10+2 स्तर में भौतिक विज्ञान और गणित के साथ) के रूप में भौतिक विज्ञान के साथ बी.एससी. या इंजीनियरी स्नातक।
- (iii) वायु सेना अकादमी के लिए: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री (10+2 स्तर तक भौतिक विज्ञान एवं गणित विषयों सहित) अथवा इंजीनियरी में स्नातक।

थल सेना/नौसेना/वायु सेना की पहली वरीयता देने वाले स्नातकों को सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार के दिन सेवा चयन बोर्ड केन्द्र पर ग्रेजुएशन के प्रमाण के रूप में स्नातक/अनंतिम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

जो उम्मीदवार अंतिम वर्ष/सेमेस्टर डिग्री पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करना अभी शेष है, वे भी आवेदन कर सकते हैं और उन्हें पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने के समय डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जो भारतीय सैन्य अकादमी/एसएससी को प्रथम विकल्प के रूप में चुनने वाले उम्मीदवारों के मामले में एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना) भर्ती 'ए' सीडीएसई एंट्री, पश्चिमी ब्लॉक - III आर के पुरम, नई दिल्ली- 110066 तथा नौसेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में कार्मिक निदेशालय (अफसर), कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन नं. 23010231 एक्सटेंशन 7645/7646/7610 को निम्नलिखित तारीख तक पहुंच जाए। ऐसा न होने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी:-

- (i) भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में प्रवेश हेतु 01 जुलाई, 2027 को या उससे पहले, भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश हेतु 01 जुलाई, 2027 को या उससे पहले तथा वायु सेना अकादमी में प्रवेश हेतु 13 मई, 2027 को या उससे पहले।

(ii) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश के लिए 01 अक्टूबर, 2027 तक या उससे पहले।

जिन उम्मीदवारों के पास ऐसी व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं हों जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो वे भी परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

आपवादिक मामलों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यता से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है, बशर्ते उस उम्मीदवार के पास ऐसी योग्यताएं हों, जिनका स्तर आयोग के विचार से, उसे इस परीक्षा में प्रवेश देने के लिए उपयुक्त हो।

टिप्पणी I : जिन उम्मीदवारों को अभी डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करनी शेष हो, उन्हें पात्र तभी माना जाएगा जब वे डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हों। जिन उम्मीदवारों द्वारा डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में अभी अर्हता प्राप्त करना शेष है और उन्हें संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई है; उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि यह उन्हें दी गई एक विशेष छूट मात्र है। उनके लिए डिग्री परीक्षा पास किए जाने का प्रमाण निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा इस तिथि को आगे बढ़ाने के किसी भी अनुरोध को मूलभूत पात्रता विश्वविद्यालय परीक्षा देर से संचालित किए जाने; परीक्षा परिणाम की घोषणा में विलंब होने; अथवा किसी भी अन्य आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। डिग्री/सेमेस्टर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत उम्मीदवारों को एसएसबी साक्षात्कार के समय विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज द्वारा जारी वास्तविक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे निर्धारित तिथि तक स्नातक डिग्री/ परीक्षा पास कर लिए जाने का प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे, जिसमें विफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-II: पंजीकरण और ऑन-लाइन आवेदन प्रपत्र:

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को ऑन-लाइन आवेदन करना होगा तथा समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ़) के साथ जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता आदि विभिन्न दावों के संबंध में आयोग द्वारा अपेक्षित जानकारी तथा सहयोगी दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन प्रपत्र भरने के विस्तृत अनुदेशों के लिए सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2026 के नोटिस का सन्दर्भ लें। यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण, समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ़) और परीक्षा विशिष्ट प्रपत्र के साथ अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

टिप्पणी - III : जिन उम्मीदवारों पर रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन के संबंध में रोक लगाई गई हो, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे और यदि उन्हें प्रवेश दे दिया गया है तो भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी- IV : उड़ान (फ्लाईंग) सीखने में असफल होने के कारण वायु सेना के ऐसे उम्मीदवारों को उड़ान प्रशिक्षण से निलंबित किए जाने पर भारतीय वायु सेना की नेविगेशन/ग्राउंड ड्यूटी (गैर-तकनीकी) शाखाओं में शामिल किया जाएगा। यह रिक्तियों की उपलब्धता और निर्धारित गुणात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के अध्यधीन होगा।

(घ) शारीरिक मानक:

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा - (II), 2026 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को परिशिष्ट-II में दिए गए शारीरिक मानकों संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

3. शुल्क:

उम्मीदवारों (महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट मिली हुई है को छोड़कर) को आयोग के परीक्षा नोटिस में निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

4. सभी उम्मीदवारों, जिनमें सशस्त्र बल, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों सहित पहले से सरकारी सेवा में रत अथवा निजी रोजगार में कार्यरत उम्मीदवार शामिल हैं, को अपने आवेदन सीधे आयोग को ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे।

कृपया ध्यान दें-I: पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों, चाहे वे स्थायी या अस्थायी क्षमता में हों अथवा अनियमित या दैनिक वेतन श्रेणी के अतिरिक्त कार्य प्रभार (वर्क चार्ज) कर्मचारी के रूप में अथवा लोक उद्यमों में कार्यरत हों, को अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

कृपया ध्यान दें-II: सशस्त्र बलों में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने कमान अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उन्हें इस संदर्भ में सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जमा करवाना होगा।

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि आयोग को उम्मीदवारों के नियोक्ता से उनके आवेदन करने/परीक्षा में बैठने की अनुमति रोकने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर उनके आवेदन रद्द किए जा सकते हैं/ उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

5. परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का फैसला अंतिम होगा।

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा के लिए प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों का परीक्षा के सभी चरणों के लिए प्रवेश पूर्णतया अनंतिम होगा और यह निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगा। यदि परीक्षा के किसी भी चरण से पहले या बाद में सत्यापन के समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता संबंधी सभी शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित होने जिसकी अक्टूबर, 2026 माह में घोषित किए जाने की संभावना है, के शीघ्र बाद, सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय, जैसा मामला हो, को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण-पत्र (मूल रूप में) और उनकी स्वयं सत्यापित प्रतियां तैयार रखें :

- (1) जन्म की तारीख दर्शाते हुए मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र अथवा इसके समकक्ष प्रमाण-पत्र।
- (2) डिग्री/अनंतिम डिग्री प्रमाण-पत्र/अंक सूची जिसमें स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया हो कि डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और डिग्री पाने के लिए पात्र हैं।

प्रथमतः सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए पात्र सभी अर्हक उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के चयन केन्द्रों में साक्षात्कार के लिए जाते समय अपने साथ मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र सहित डिग्री/अनंतिम डिग्री प्रमाण पत्र/अंक पत्र मूल रूप में अपने साथ लेकर जाएंगे। वह उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा पास नहीं की है, उन्हें कॉलेज/ संस्था के प्रधानाचार्य से इस आशय का मूल प्रमाण पत्र साथ लेकर आना चाहिए कि उम्मीदवार डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ट हो चुके/रहें हैं। जो उम्मीदवार सेवा चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त प्रमाण पत्र अपने साथ नहीं लाते हैं, उन्हें सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने के बारे में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी तथा जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रमाणपत्रों में से कोई मूल प्रमाणपत्र साथ नहीं लाते हैं उन्हें सेवा चयन बोर्ड परीक्षण तथा साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें उनके अपने खर्च पर वापिस भेज दिया जाएगा।

6. यदि किसी उम्मीदवार के पास परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण-पत्र नहीं है तो उसे परीक्षा के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

7. (1) यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है:

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है :

(क) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, अर्थात्: -

(i) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना; या

(ii) दबाव डालना; या

(iii) परीक्षा के संचालन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना, या ब्लैकमेल करने की धमकी देना; या

(ख) प्रतिरूपण(इमपर्सोनेशन); या

(ग) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाया जाना; या

(घ) जाली दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है; या

(ङ) आवेदन पत्र में वास्तविक फोटो / हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करना।

- (च) ऐसे विवरण देना जो गलत या झूठ हैं अथवा महत्वपूर्ण सूचना को छिपा रहे हैं; या
- (छ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का सहारा लेना: -
- (i) अनुचित साधनों से प्रश्न पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त करना;
 - (ii) परीक्षा से संबंधित गुप्त कार्य से जुड़े व्यक्तियों के बारे में पता लगाना;
 - (iii) परीक्षकों को प्रभावित करना; या
- (ज) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों को रखना या उनका उपयोग करना; या
- (झ) स्क्रिप्ट में अक्षील बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना या अप्रासंगिक बातें लिखना; या
- (ञ) परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, साथी परीक्षार्थियों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था फैलाना तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; या
- (त) आयोग द्वारा परीक्षा के संचालन के लिए लगाए गए कर्मचारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक नुकसान पहुँचाना; या
- (थ) परीक्षा के दौरान संचार उपकरण के रूप में उपयोग किए जा सकने वाले किसी भी मोबाइल फोन (स्विच ऑफ मोड में भी), पेजर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्रामेबल डिवाइस या स्टोरेज मीडिया जैसे पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच आदि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या किसी अन्य उपकरण या संबंधित सहायक उपकरण (चाहे चालू हो या स्विच ऑफ मोड में) को अपने पास रखना या उसका उपयोग करना; या
- (द) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए ई-प्रवेश पत्र के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन करना; या
- (ध) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करना या जैसा भी मामला हो, उन्हें करने के लिए प्रेरित करना,

समय-समय पर संशोधित लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत आपराधिक अभियोजन/उचित विधिक कार्रवाई किए जाने के अतिरिक्त, उम्मीदवार को इस नियमावली के अंतर्गत आयोजित परीक्षा के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और/या स्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जाएगा:-

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जाएगा और

यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

किन्तु यह कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और

(ii) इस प्रयोजनार्थ अनुमत समय में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया जाए।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (क) से (ड) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उक्त खंड (ड) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

8. विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को आयु और शैक्षिक योग्यता के अनुसार उनकी पात्रता तथा उनके द्वारा दर्शाई गई वरीयता के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि परीक्षा में प्रवेश आवेदन प्रपत्र में उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पूर्णतः अनंतिम होगा। यह पात्रता की सभी शर्तों के सत्यापन के अध्यधीन होगा।

उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई ई-मेल आईडी मान्य और सक्रिय हो।

9. सेना/नौसेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार:

सेना मुख्यालय से पत्र व्यवहार करते समय निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए।

1. परीक्षा का नाम और वर्ष।
2. यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन)
3. आवेदन संख्या
4. अनुक्रमांक (यदि मिला हो)।
5. उम्मीदवार का नाम (पूरा और स्पष्ट अक्षरों में)।
6. पत्र व्यवहार का पूरा पता जैसा आवेदन प्रपत्र में दिया है।
7. मान्य तथा सक्रिय पंजीकृत ई-मेल आईडी/पंजीकृत मोबाइल नंबर

कृपया ध्यान दें: (i) जिन पत्रों में ऊपर उल्लिखित व्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

कृपया ध्यान दें: (ii) यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कृपया ध्यान दें: (iii) सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों ने यदि परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद अपना पता बदल लिया हो तो उन्हें परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित होते ही अपना नया पता, बिना टिकट लगे लिफाफे पर लिखकर, भारतीय सैन्य अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अपनी पहली वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के मामले में रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (थल सेना)/महानिदेशालय भर्ती (भर्ती ए) सीडीएसई, एंट्री सेक्शन पुरुष उम्मीदवारों के लिए और एसएसई महिला एंट्री सेक्शन महिला उम्मीदवारों के लिए वेस्ट ब्लॉक - 3, भूतल, विंग-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली- 110066 को, नौसेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के मामले में एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 तथा वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के मामले में कार्मिक निदेशालय (अफसर), कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन नं. 23010231 एक्सटेंशन 7645/7646/7610 के पते पर सूचित कर देना चाहिए। जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए समन पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा। केन्द्रों के आबंटन, एसएसबी साक्षात्कार की तारीख, योग्यताक्रम सूची, ज्वाइन करने के लिए अनुदेश संबंधी सभी प्रश्नों और चयन प्रक्रिया से संबंध किसी अन्य प्रकार की संगत जानकारी के लिए आईएमए या ओटीए को वरीयता देने वाले उम्मीदवार कृपया वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in देखें नौसेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय, (नौसेना) डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 तथा वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवार कार्मिक निदेशालय (अफसर), कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन नं. 23010231 एक्सटेंशन 7645/7646/7610 के पते पर लिखें।

उम्मीदवारों को भेजे गए कॉल-अप लेटर द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए पहुंचना होगा। केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही साक्षात्कार को स्थगित करने संबंधित अनुरोध पर विचार किया जाएगा जिसके लिए निर्णय लेने का प्राधिकार केवल सेना मुख्यालय नौसेना मुख्यालय/वायुसेना मुख्यालय को होगा। ऐसे अनुरोध उस चयन केंद्र/सेवा चयन बोर्ड को भेजे जाने चाहिए। जहां से एसएसबी साक्षात्कार के लिए कॉल प्राप्त हुई है। नौसेना के उम्मीदवार परिणाम के प्रकाशन के तीन सप्ताह के बाद अपना कॉल लेटर नौसेना की वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं, या officer@navy.gov.in पर ई मेल भेज सकते हैं।

कृपया ध्यान दें : यदि किसी उम्मीदवार को भारतीय सैन्य अकादमी हेतु फरवरी, 2027 के दूसरे सप्ताह तक और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी हेतु मई, 2027 के दूसरे सप्ताह तक सेवा चयन बोर्ड के लिए साक्षात्कार पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसे सेना मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (थल सेना)/भर्ती सीडीएसई एंट्री/एसएससी महिला एंट्री अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, वेस्ट ब्लॉक - III रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को कॉल-अप-लेटर न मिलने के बारे में लिखना चाहिए। नौसेना/ वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों द्वारा इसी प्रकार की पूछताछ के मामले में नौसेना मुख्यालय/वायुसेना मुख्यालय को लिखना चाहिए जैसा कि विशेष ध्यान दें- (III) में उल्लिखित है (फरवरी, 2027 के चौथे सप्ताह तक पत्र न मिलने की स्थिति में)।

10. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अंतिम परिणामों की घोषणा और अंतिम रूप से योग्य पाये गये उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश :

संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित किए जाते हैं उन्हें संबंधित सेवा मुख्यालय द्वारा उनकी वरीयता के आधार पर सेवा चयन बोर्ड में बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व परीक्षण के लिए भेजा जाता है। लिखित परीक्षा में अर्हक हुए उम्मीदवारों को, जिन्होंने वरीयता क्रम में सेना (भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई) को प्रथम विकल्प दर्शाया है, उन्हें भर्ती निदेशालय की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर अपना पंजीकरण करना होगा ताकि उन्हें एसएसबी साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र प्राप्त हो सके। वे उम्मीदवार जो पहले से भर्ती निदेशालय की वेबसाइट पर पंजीकरण कर चुके हैं, उन्हें पुनः पंजीकरण न करने की सलाह दी जाती है। भर्ती महानिदेशालय की वेबसाइट अर्थात् www.joinindianarmy.nic.in पर पंजीकृत ईमेल आईडी और संघ लोक सेवा आयोग को प्रदान की गई आईडी एक ही होनी चाहिए और उम्मीदवार की अपनी होनी चाहिए। सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षण के परिणाम सभी पाठ्यक्रमों के लिए मान्य होंगे अर्थात् भारतीय सैन्य अकादमी (डीई) पाठ्यक्रम, देहरादून, भारतीय नौसेना अकादमी, एडमिरल पाठ्यक्रम, वायु सेना अकादमी (उड़ान पूर्व) पाठ्यक्रम, हैदराबाद तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में एसएससी (एनटी) पाठ्यक्रम जिनके लिए उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा पास की है चाहे उसे आयोजित करने वाला सेवा मुख्यालय कोई भी हो। सेवा चयन बोर्ड में मनोवैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण पर आधारित द्विस्तरीय चयन प्रक्रिया आरंभ की गई है। सभी उम्मीदवारों का चयन केन्द्रों पर रिपोर्ट करने के पहले दिन ही पहले चरण का परीक्षण किया जाएगा। पहले चरण का परीक्षण पास करने वाले उम्मीदवारों को ही द्वितीय चरण/शेष परीक्षणों में प्रवेश दिया जाएगा तथा वे सभी उम्मीदवार जो पहला चरण पास करने में असफल रहते हैं उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। द्वितीय स्तर के सफल उम्मीदवारों को (i) जन्मतिथि के समर्थन में मैट्रिकुलेशन पास प्रमाण पत्र या समकक्ष (ii) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में सभी वर्षों/सेमेस्टर्स के अंक पत्रकों सहित स्नातक डिग्री/अनंतिम डिग्री की एक-एक फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

उम्मीदवार अपने जोखिम पर सेवा चयन बोर्ड के समक्ष उपस्थित होंगे और परीक्षण में शामिल होंगे और यदि सेवा चयन बोर्ड में उनके परीक्षण के दौरान या उसके फलस्वरूप यदि उनको कोई चोट पहुंचती है तो वह उसके लिए सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति और सहायता पाने के हकदार नहीं होंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति की लापरवाही या दूसरे किसी कारण से हो। उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में इस आशय के एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

स्वीकृति हेतु उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो क्रमशः आयोग तथा सेवा चयन बोर्ड द्वारा अपने विवेकानुसार निश्चित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में रखा जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा का परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किया जाए इसका निर्णय आयोग अपने विवेक से करेगा तथा आयोग परिणाम से संबंधित कोई पत्राचार नहीं करेगा।

परीक्षा में सफल होने मात्र से ही भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, जैसी स्थिति हो, में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अंतिम चयन शारीरिक फिटनेस और अन्य सभी मामलों में उपयुक्तता के अतिरिक्त उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए योग्यता के क्रम में किया जाएगा।

टिप्पणी- I : वायु सेना तथा नौसेना एविएशन के प्रत्येक उम्मीदवार का पायलट एप्टीट्यूट टेस्ट केवल एक बार होता है। अतः उम्मीदवार द्वारा प्रथम परीक्षण (सीपीएसएस तथा/अथवा पीएबीटी) में प्राप्त ग्रेड ही भविष्य में वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष होने वाले प्रत्येक साक्षात्कार के समय लागू होगा। भारतीय नौसेना चयन बोर्ड/कंप्यूटर पायलट चयन

प्रणाली (सीपीएसएस) तथा/अथवा पायलट एण्ट्रीक्यूट बैटरी टेस्ट में पहले विफल रहे उम्मीदवार तथा नियमित रूप से चश्मा पहनने वाले उम्मीदवार वायु सेना हेतु पात्र नहीं हैं।

ऐसे उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने वायु सेना के लिए एक से अधिक स्रोतों से आवेदन किया हो उनके लिए वायु सेना चयन बोर्ड में परीक्षा/ साक्षात्कार एफ(पी) पाठ्यक्रम में तीन प्रकार की प्रवेश प्रक्रियाएं हैं अर्थात् सीडीएसई/एनसीसी/एएफसीएटी। कंप्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) में जो उम्मीदवार उत्तीर्ण नहीं होंगे उनके नामों पर दी गई वरीयता अन्य सेवाओं के लिए केवल तभी विचार किया जाएगा जब उन्होंने सीडीएस परीक्षा के माध्यम से ही आवेदन किया हो। ऐसे उम्मीदवार जो आईएमए (डीई) पाठ्यक्रम एवं/ या नौसेना (एसई) पाठ्यक्रम एवं/ या वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रम की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों भले ही उन्होंने एसएससी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो या नहीं किया हो, उन्हें फरवरी-मार्च, 2027 की एसएसबी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी एवं ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने केवल एसएससी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो उन्हें अप्रैल-जून, 2027 की एसएसबी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

10.1 अंकों का पूर्णांकन तथा टाई ब्रेकिंग सिद्धान्तः

अंकों के पूर्णांकन से संबंधित प्रावधान, जहां भी लागू हों तथा अंक संबंधी टाई के मामलों के समाधान हेतु सिद्धांत निम्नानुसार होंगे :-

(क) अंकों का पूर्णांकन :

परीक्षा के सभी चरणों में, उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को मानक पूर्णांकन सिद्धांत लागू करते हुए, जहाँ भी लागू हो, दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित किया जाएगा। तदनुसार, टाई ब्रेकिंग सिद्धांतों को लागू करते समय, टाई के सभी मामलों को हल करने के लिए दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित अंकों पर विचार किया जाएगा।

(ख) टाई-ब्रेकिंग सिद्धांतः

- (i) आईएमए/आईएनए/एएफए के लिए: यदि कुल अंक (अंतिम अंक) बराबर हैं, तो लिखित परीक्षा ("पेपर- I: अंग्रेजी, पेपर- II: सामान्य ज्ञान और पेपर - III: प्रारंभिक गणित" एक साथ) के कुल अंकों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी;
- ओटीए के लिए: यदि कुल अंक (अंतिम अंक) बराबर हैं, तो लिखित परीक्षा ("पेपर-I: अंग्रेजी और पेपर-II: सामान्य ज्ञान" एक साथ) के कुल अंकों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी;
- (ii) यदि उपरोक्त (i) में अंक समान हैं, तो "पेपर-II: सामान्य ज्ञान" में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी;
- (iii) यदि उपरोक्त (i) और (ii) के अंक भी समान हैं, तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्चतर स्थान दिया जाएगा; तथा
- (iv) जिन मामलों में उपर्युक्त टाई ब्रेकिंग सिद्धांतों का प्रयोग करने के पश्चात् भी टाई की स्थिति बनी रहती है तब उस स्थिति का समाधान आयोग के विवेकानुसार किया जाएगा।

11. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निरर्हताएं:

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, वायुसेना अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में पहले प्रवेश पा चुके हैं लेकिन अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिए गए हैं, उनको भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायुसेना अकादमी या थल सेना अकादमी में अल्पकालीन सेवा कमीशन में प्रवेश देने पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को 'अधिकारी सुलभ गुणों' के अभाव में पहले भारतीय सैनिक अकादमी से हटा दिया गया हो, उन्हें भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को स्पेशल एंट्री नेवल कैडेट्स के रूप में चुन लिया गया हो पर बाद में अधिकारी सुलभ गुणों के अभाव में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नौसेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों से हटा दिया गया हो वे भारतीय नौसेना में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

जिन उम्मीदवारों को अधिकारी सुलभ गुणों के अभाव में भारतीय सैन्य अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, एनसीसी तथा स्नातक पाठ्यक्रम से हटा दिया हो, उनको थल सेना में अल्पकालीन सेवा कमीशन देने पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को अधिकारी सुलभ गुणों के अभाव में एनसीसी तथा स्नातक पाठ्यक्रम से पहले हटा दिया गया हो, उन्हें भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

12. भारतीय सैन्य अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षण के समय विवाह पर प्रतिबंध :

भारतीय सैन्य अकादमी पाठ्यक्रम या भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम या वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रम या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई के पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों को यह परिवचन देना होगा कि जब तक उनका प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे विवाह नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद विवाह कर लेते हैं उन्हें प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा चाहे वह इस परीक्षा में या अगली परीक्षा में सफल हों। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण के दौरान विवाह कर लेगा उसे वापस भेज दिया जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया वह सब उससे वसूल किया जाएगा।

13. भारतीय सैन्य अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय अन्य प्रतिबंध:

भारतीय सैन्य अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रवेश प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार किसी दूसरे कमीशन के लिए विचार योग्य नहीं होंगे। भारतीय सैन्य अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से उनका चयन हो जाने के बाद उन्हें और किसी भी साक्षात्कार या परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनिल कुमार छापोलिया, संयुक्त सचिव (स्थापना एवं समन्वय)

परिशिष्ट-I**परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्यक्रम****(क) परीक्षा की योजना :**

1. प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :-

(क) नीचे पैरा 2 में दर्शाई गई लिखित परीक्षा

(ख) बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण (इस परिशिष्ट के भाग-ख के अनुसार) के लिए उन उम्मीदवारों का साक्षात्कार जिन्हें किसी भी सेवा चयन केंद्र में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

2. लिखित परीक्षा के विषय, उनके लिए दिए जाने वाला समय तथा प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक नियमानुसार होंगे:

(क) भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिए:

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100
3. प्रारंभिक गणित	2 घंटे	100

(ख) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश के लिए

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए आबंटित अधिकतम अंक प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए समान होंगे अर्थात् भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक क्रमशः 300, 300, 300 और 200 होंगे।

3. सभी विषयों के प्रश्नपत्र केवल वस्तुपरक होंगे। सामान्य ज्ञान तथा प्रारंभिक गणित के प्रश्न पत्र (परीक्षण पुस्तिकाएं) हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में, द्विभाषी रूप से तैयार किए जाएंगे।

4. प्रश्न पत्रों में जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीट्रिक पद्धति से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे।

5. उम्मीदवारों को उत्तर स्वयं लिखने चाहिए। किसी भी स्थिति में उन्हें प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता नहीं दी जाएगी।

6. परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग के विवेक पर निर्भर है।

7. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न पत्रों (परीक्षण पुस्तिकाओं) के उत्तर देने के लिए केलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अतः वे उसे परीक्षा भवन में न लाएं।

(ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम**स्तर**

प्रारंभिक गणित के प्रश्न पत्रों का स्तर मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होगा। अन्य विषयों के प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जिसकी किसी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है।

पाठ्यक्रम**अंग्रेजी (कोड सं. 11)**

प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा कि जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी की समझ और शब्दों के सहज बोध की परीक्षा ली जा सके।

सामान्य ज्ञान (कोड सं. 12)

समसामयिक घटनाओं सहित सामान्य ज्ञान और दिन प्रतिदिन देखे और अनुभव किए जाने वाले इसी तरह के मामलों के वैज्ञानिक पक्ष की जानकारी जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। प्रश्न पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल से संबंधित ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार को उन विषयों का विशेष अध्ययन किये बिना देने में सक्षम होना चाहिए।

प्रारंभिक गणित (कोड सं. 13)**अंकगणित**

संख्या पद्धति : प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक संक्रियाएं, मूल संक्रिया, जोड़ना, घटाना, गुणन और विभाजन, वर्गमूल, दशमलव भिन्न। ऐकिक विधि: समय तथा दूरी, समय तथा कार्य, प्रतिशतता, साधारण तथा चक्रवृद्धि व्याज में अनुप्रयोग, लाभ और हानि, अनुपात और समानुपात विवरण।

प्रारंभिक संख्या सिद्धांत : विभाजन की कलन विधि, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, 2,3,4,5,9 और 11 द्वारा विभाज्यता का परीक्षण/ गुणनखंड और भाज्य प्रमेय/ महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, यूक्लिड की कलन विधि। आधार 10 तक लघुगुणक, लघुगुणक के नियम, लघु-गुणकीय सारणियों का प्रयोग।

बीजगणित

आधारभूत संक्रियाएं, साधारण गुणनखंड, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य सिद्धांत, द्विघातीय समीकरणों का हल, इसके मूलों और गुणकों के बीच संबंध (केवल वास्तविक मूल पर विचार किया जाए) दो अज्ञात राशियों के युगपद रैखिक समीकरण, विक्षेपण और ग्राफ संबंधी हल, दो चरों में युगपद रैखिक असिमिकाएं और उनके हल। प्रायोगिक प्रश्न जिनसे दो चरों में दो युगपद, रैखिक समीकरण या असिमिकाएं बनती हैं या एक चर में द्विघात, समीकरण तथा हल समुच्चय भाषा तथा समुच्चय अंकन पद्धति, परिमेय व्यंजक तथा प्रतिबंध तत्समक घातांक नियम।

त्रिकोणमिति

ज्या X, कोटिज्या X, स्पर्श रेखा X, जब $00 \leq X \leq 900$ कोटिज्या, स्पर्श रेखा X का मान जबकि X 00, 300, 450, 600 और 900

सरल त्रिकोणमितीय सारणियां।

सरल त्रिकोणमितीय सारणियों का प्रयोग।

ऊँचाइयों और दूरियों संबंधित सरल प्रश्न।

ज्यामिति

रेखा और कोण, समतल और समतल आकृति, निम्नलिखित पर प्रमेय: (1) किसी बिंदु पर कोणों के गुणधर्म, (2) समांतर रेखाएं, (3) किसी त्रिभुज की भुजाएं और कोण, (4) त्रिभुज की सर्वांगसमता, (5) समरूप त्रिभुज (6) माध्यिकाओं और शीर्ष लम्बों का संगमन, (7) समानान्तर चतुर्भुजों, आयात और वर्ग के कोणों, भुजाओं के विकल्पों के गुणधर्म, (8) वृत्त और उनके गुणधर्म जिसमें, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब भी शामिल हैं, (9) स्थानिक संयंक।

क्षेत्रमिति

वर्गों, आयतों, समानांतर चतुर्भुजों, त्रिभुजों और वृत्तों के क्षेत्रफल। ऐसी आकृतियों के क्षेत्रफल जिन्हें (फील्ड बुक) इन आकृतियों में विभाजित किया जा सकता है। घनाभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, लम्ब, वृत्तीय शंकुओं और बेलनों का पार्श्व क्षेत्र तथा आयतन और गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन।

सांख्यिकी

सांख्यिकी तथ्यों का संग्रह तथा सारणीयन, आरेखी निरूपण, बारम्बारता, बहुभुज, आयत, चित्र, बार चार्ट, पाई चार्ट आदि। केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापन।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण

सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) प्रक्रिया के अंतर्गत चयन प्रक्रिया के दो चरण होते हैं – चरण-I तथा चरण-II। चरण- II में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है, जो चरण- I में सफल रहते हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है:-

(क) चरण- I के अंतर्गत अधिकारी बुद्धिमत्ता रेटिंग (ओआईआर) तथा परीक्षण चित्र बोध (पिक्चर परसेप्शन)* विवरण परीक्षण (पीपी एवं डीटी) में शामिल होते हैं। उम्मीदवारों को ओआईआर परीक्षण तथा पीपी एवं डीटी में संयुक्त रूप में से उनके कार्य निष्पादन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

(ख) चरण-II के अंतर्गत साक्षात्कार, ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी टास्क, मनोविज्ञान परीक्षण तथा सम्मेलन (कांफ्रेंस) शामिल है। ये परीक्षण 4 दिनों में आयोजित किए जाते हैं। इन परीक्षणों का विवरण वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर मौजूद है।

किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व का आकलन तीन अलग-अलग आकलनकर्ताओं, यथा साक्षात्कार अधिकारी (आईओ), ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी (जीटीओ) तथा मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षण के लिए अलग-अलग अंक (वेटेज) नहीं हैं। आकलनकर्ताओं द्वारा उम्मीदवारों को सभी परीक्षणों में उनके समग्र कार्य-निष्पादन पर विचार करने के पश्चात् ही अंकों का आवंटन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कांफ्रेंस हेतु अंकों का आवंटन भी तीनों तकनीकों में उम्मीदवार के आरंभिक कार्य-निष्पादन तथा बोर्ड के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इन सभी के अंक (वेटेज) समान हैं।

आईओ, जीटीओ तथा मनोविज्ञान के विभिन्न परीक्षण इस प्रकार तैयार किए जाते हैं जिससे उम्मीदवार में अधिकारी सम्मत गुणों (आफिसर लाइक क्वालिटीज) के होने/न होने तथा प्रशिक्षित किए जाने की उसकी क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तदनुसार, एसएसबी में उम्मीदवारों की अनुशंसा की अथवा नहीं की जाती है।

परिशिष्ट – (II)

सशस्त्र बलों में अधिकारियों के चिकित्सा परीक्षण के लिए चिकित्सा मानक और प्रक्रिया:

सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) के अधिकारियों के रूप में भर्ती के लिए उम्मीदवारों के चिकित्सा परीक्षण हेतु चिकित्सा मानक और प्रक्रियाएं “सशस्त्र बलों में प्रवेश हेतु चिकित्सा मानकों की संयुक्त आदेश पुस्तिका (प्रथम संस्करण)” द्वारा शासित होगी।

यह दस्तावेज भारतीय सेना की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे www.joinindianarmy.nic.in के तहत मुख्य पृष्ठ → नीतियां → नीतियां : अधिकारियों का चयन → सशस्त्र बलों में प्रवेश हेतु चिकित्सा मानक (प्रथम संस्करण)

टिप्पणी : केवल हाथ के भीतर की तरफ अर्थात् कुहनी के भीतर से कलाई तक और हथेली के ऊपरी भाग/हाथ के पिछले हिस्से की तरफ शरीर पर स्थायी टैटू की अनुमति है। शरीर के किसी अन्य हिस्से पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं है और उम्मीदवार को आगे के चयन से विवर्जित कर दिया जाएगा। जनजातियों को उनके मौजूदा रीति रिवाजों एवं परंपरा के अनुसार उनके चेहरे या शरीर पर टैटू के निशान की मामला दर मामला के आधार पर अनुमति होगी। कमांडेंट चयन केंद्र ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

परिशिष्ट – (III)**(सेवा का संक्षिप्त विवरण आदि)****थलसेना के अधिकारियों और वायु सेना तथा नौसेना में समकक्ष रैंक के अधिकारियों का वेतनमान****वेतन**

रैंक	लेवल	(वेतन, रुपये में)
लेफ्टिनेंट	लेवल 10	56,100 -1,77,500
कप्तान	लेवल 10 ख	61,300- 1,93,900
मेजर	लेवल 11	69,400 - 2,07,200
लेफ्टिनेंट कर्नल	लेवल 12 क	1,21,200 - 2,12,400
कर्नल	लेवल 13	1,30,600-2,15,900
ब्रिगेडियर	लेवल 13 क	1,39,600-2,17,600
मेजर जनरल	लेवल 14	1,44,200-2,18,200
लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी स्केल	लेवल 15	1, 82, 200-2,24,100
एचएजी + स्केल	लेवल 16	2,05,400 - 2,24,400
उप सेना प्रमुख / सेना कमांडर / लेफ्टिनेंट जनरल	लेवल 17	2,25,000/-(नियत)
सेना प्रमुख	लेवल 18	2,50,000/-(नियत)

अधिकारी के लिए सैन्य सेवा वेतन निम्नानुसार है

लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों के लिए सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी)	रु.15,500 प्रतिमाह नियत
---	-------------------------

कैडेट प्रशिक्षण के लिए नियत वजीफा: -

अधिकारी कैडेटों को सेवा अकादमियों में प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि अर्थात् आईएमए, आईएनए, एएफए और ओटीए के प्रशिक्षण अवधि के दौरान। वजीफा	रु. 56,100/- प्रतिमाह* (लेवल 10 में आरंभिक वेतन)
--	--

* सफलतापूर्वक कमीशन प्राप्ति पर, कमीशन प्राप्त अधिकारी का वेतन, वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 के प्रथम सेल में तय किया जाएगा और प्रशिक्षण की अवधि को कमीशन प्राप्त सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा तथा प्रशिक्षण अवधि के लिए कैडेटों को यथा-अनुमेय भत्तों के बकाया का भुगतान किया जाएगा।

- (i) **अन्य भत्ते:-** 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा जोखिम एवं कठिनाई भत्ता शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को उस क्षेत्र जहां वह सेवारत है के जोखिम एवं कठिनाई के अनुसार उसके पात्रता के अनुरूप भत्ता मिलता है।

(क)	महंगाई भत्ता	समय-समय पर असैनिक कर्मचारियों के लिए लागू यथा-अनुमेय दरों तथा शर्तों के अनुरूप स्वीकार्य होगा
-----	--------------	---

(ii) वर्दी भत्ता *20,000/- रुपये प्रति वर्ष

(iii) मुफ्त आहार सामग्री शांति और फील्ड क्षेत्र में।

(iv) परिवहन भत्ता (टीपीटीए)।

वेतनमान	उच्च टीपीटीए शहर (रुपये प्रति माह)	अन्य स्थान (रुपये प्रति माह)
10 और ऊपर	रु. 7200+ उस पर देय महंगाई भत्ता	रु. 3600+ उस पर देय महंगाई भत्ता

नोट: -

(क) उच्चतर परिवहन भत्ता शहर (यू.ए.):-

हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, कोच्चि, कोझिकोड, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता।

(ख) जिन सेवा कर्मिकों को सरकारी परिवहन सुविधा प्रदान की गई है, उन्हें यह भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(ग) वेतनमान स्तर 14 और उससे ऊपर के अधिकारी, जो आधिकारिक कार का उपयोग करने के पात्र हैं, उनको आधिकारिक कार सुविधा का लाभ उठाने या 15,750 रुपये प्रति माह की दर से टीपीटीए + महंगाई भत्ता आहरित करने का विकल्प मिलेगा।

(घ) पूरे कैलेंडर माह (माहों) में छुट्टी पर रहने पर यह भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(ङ) शारीरिक रूप से दिव्यांग सेवा कर्मियों को दोगुनी दर पर भुगतान करना जारी रखा जाएगा, जो प्रति माह न्यूनतम 2250 रु.+ उस पर देय महंगाई भत्ता होगा।

(v) संतान शिक्षा भत्ता * 2250/-रु प्रति माह

*महंगाई भत्ता इंडेक्स की दर 25% की बढ़ी हुई दर से परिकलित की जाएगी, क्योंकि दिनांक 01.01.2024 को महंगाई भत्ते की दर 50% को पार कर चुकी थी।

(i) प्रतिपूर्ति वर्ष में केवल एक बार वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद (जो कि अधिकांश विद्यालयों के लिए शैक्षणिक वर्ष के साथ मेल खाता है) की जानी चाहिए।

(ii) इस उद्देश्य के लिए सरकारी कर्मचारी का बालक जहां अध्ययनरत है उस संस्थान के प्रमुख का प्रमाण-पत्र पर्याप्त होना चाहिए। प्रमाण-पत्र द्वारा यह पुष्टि होनी चाहिए कि पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान बच्चे ने उस विद्यालय में पढ़ाई की थी।

(iii) कृपया नोट करें कि वेतन एवं भत्ते और तत्सम्बन्धी नियम / प्रावधान समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं।

(क) **भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए:**

4. उम्मीदवार का भारतीय सैन्य अकादमी में भर्ती से पूर्व :

(क) इस आशय के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप कोई चोट लगने, ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल ऑपरेशन या एनेस्थीसिया के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसे या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार से किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक नहीं होगा।

(ख) उसके माता-पिता या अभिभावक को इस आशय के बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण में माना जाए, उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापिस आना चाहता है या कमीशन को अस्वीकार कर देता है तो उस पर लगे शिक्षा शुल्क, भोजन, वस्त्र पर किए गए व्यय तथा दिए गए वेतन और भत्ते की कुल राशि या वह राशि जो सरकार निश्चित करे उसे वापिस करनी होगी।

2. अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को लगभग 18 महीनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन उम्मीदवारों को सेना अधिनियम के अधीन अधिकारी कैडेट के रूप में दर्ज किया जाएगा। अधिकारी कैडेट पर साधारण अनुशासनात्मक प्रयोजनों के लिए भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के नियम और विनियम लागू होंगे।

3. यद्यपि आवास, पुस्तकें, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित प्रशिक्षण के खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा, तथापि उम्मीदवार अपना जेब खर्च खुद वहन करेंगे।

4. भारतीय सैन्य अकादमी के प्रत्येक कैडेट के लिए सामान्य शर्तों के अंतर्गत समय-समय पर लागू होने वाली दरों के अनुसार परिधान भत्ता अकादमी के कमांडेंट को सौंप दिया जाएगा। इस भत्ते की जो रकम खर्च नहीं होती है वह:

(क) कमीशन प्रदान किए जाने के बाद कैडेट को सौंप दी जाएगी अथवा

(ख) यदि कैडेट को कमीशन नहीं दिया जाता है तो भत्ते की यह रकम राज्य को वापिस कर दी जाएगी।

कमीशन प्रदान किए जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाएंगी। किंतु यदि प्रशिक्षणाधीन कैडेट त्याग पत्र देता है या कमीशन से पूर्व उसे हटा दिया जाए या वापस बुला लिया जाए तो उपर्युक्त वस्तुएं उससे वापस ले ली जाएंगी। इन वस्तुओं का निपटान सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा।

5. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रशिक्षण शुरू होने के बाद त्याग-पत्र देने वाले अधिकारी कैडेट को मुख्यालय एआरटीआरएसी द्वारा उनका त्याग-पत्र स्वीकार होने तक घर जाने की अनुमति दी जा सकती है। उनके प्रस्थान से पूर्व उनके प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाले खर्च उनसे वसूल किए जाएंगे। भारतीय सैन्य अकादमी में उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उन्हें व उनके माता-पिता/अभिभावक को इस आशय के एक बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। जिस अधिकारी कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करने के योग्य नहीं माना जाएगा उसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण की लागत का भुगतान करने के बाद, सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से कार्यमुक्त किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सेना से आए उम्मीदवारों को उनकी पेरेंट यूनिट में वापस भेज दिया जाएगा।

6. प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर ही कमीशन दिया जाएगा। कमीशन देने की तारीख प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख के अगले दिन से शुरू होगी। यह कमीशन स्थायी होगा।

7. कमीशन देने के बाद उन्हें सेवा के नियमित अधिकारियों के समान वेतन और भत्ते, पेंशन और छुट्टी दी जाएगी तथा सेवा की अन्य शर्तें भी वही होंगी जो सेना के नियमित अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होंगी।

8. प्रशिक्षण: भारतीय सैन्य अकादमी में अधिकारी कैडेट को 18 माह के लिए कड़ा सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इंफेंट्री के उप-यूनिटों का नेतृत्व करने के योग्य बन सकें। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरान्त अधिकारी कैडेटों को लेफ्टिनेंट के रूप में स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है बशर्ते कि एस1एच1ए1पी1ई1 में चिकित्सकीय रूप से फिट हों।

9. सेना समूह बीमा निधि (एजीआईएफ) वजीफा प्राप्त करने के दौरान अधिकारी कैडेटों का नियमित सेना के अधिकारियों के लिए लागू 1.25 करोड़ रुपये का बीमा किया जाता है। नियमित सेना अधिकारियों के लिए एजीआई योजना के तहत सदस्य बनने के लिए अधिकारी कैडेटों को मासिक आधार पर 12,500/- रुपये की दर से सदस्यता का अग्रिम भुगतान करना होगा। जो लोग दिव्यांगता के कारण आईएमबी द्वारा अमान्य कर दिए गए हैं और किसी भी पेंशन के हकदार नहीं हैं, उन्हें 100 प्रतिशत दिव्यांगता के लिए 25 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। 20 प्रतिशत दिव्यांगता के लिए इसे अनुपातिक रूप से घटाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाएगा। हालांकि, 20 प्रतिशत से कम दिव्यांगता के लिए, 50,000/- रुपये मात्र के अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा। शराब, नशीली दवाओं की लत और नामांकन-पूर्व की बीमारियों के कारण हुई दिव्यांगता के फलस्वरूप दिव्यांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान

नहीं मिलेगा। इसके अलावा, अनुशासनात्मक आधार पर निकाले गए, अवांछित के रूप में निष्कासित किए गए या स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले अधिकारी कैडेट दिव्यांगता लाभ और अनुग्रह राशि के पात्र नहीं होंगे।

10. किसी कैडेट (स्वयं) की चिकित्सा आधार पर अशक्तता/सैन्य प्रशिक्षण के कारण/बड़ी किसी समस्या के कारण उसकी मृत्यु होने की स्थिति में कैडेट (स्वयं)/निकट संबंधियों को निम्नलिखित आर्थिक लाभ देय होंगे:-

(क) दिव्यांगता की स्थिति में

(i) 9000/- रु प्रति माह की दर से मासिक अनुग्रह अनुदान।

(ii) दिव्यांगता की अवधि के दौरान 100 प्रतिशत दिव्यांगता के लिए मिलने वाले अनुदान के साथ ही 16200/- रु प्रति माह की दर से अनुग्रह दिव्यांगता अनुदान देय होगा जो दिव्यांगता के 100 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में यथानुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। दिव्यांगता 20 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में कोई दिव्यांगता लाभ नहीं दिया जाएगा।

(iii) अशक्तता निर्णायक चिकित्सा बोर्ड (आई एम बी) की सिफारिश पर 100 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 6750/- रु प्रति माह की दर से सतत परिचर भत्ता (सी ए ए) देय होगा।

(ख) मृत्यु के मामले में

(i) निकट संबंधी को 12.5 लाख रु की अनुग्रह अनुदान राशि।

(ii) निकट संबंधी को 9000/- रु प्रति माह की अनुग्रह अनुदान राशि।

(ग) कैडेटों (स्वयं)/निकट संबंधियों को अनुग्रह अनुदान देने की मंजूरी केवल अनुग्रह आधार पर की जाएगी और इसे किसी भी उद्देश्य से पेंशन नहीं माना जाएगा। तथापि, लागू दरों पर मासिक अनुग्रह तथा अनुग्रह दिव्यांगता अनुदान पर भी महंगाई राहत प्रदान की जाएगी (प्राधिकार: भारत सरकार/रक्षा मंत्रालय के दिनांक 04 सितंबर 2017 के पत्र सं० 17(02)/2016-डी (पेंशन/ नीति) पैरा 11 व 12 के तहत यथा संशोधित भारत सरकार के दिनांक 04 सितंबर 2017 के पत्र सं० 17(01)/2017(01)डी(पेंशन/नीति)

11. सेवा के नियम एवं शर्तें:

(i) तैनाती

थलसेना अधिकारी को भारत या विदेश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

(ii) पदोन्नति

स्थायी पदोन्नति

उच्चतर रैंकों पर स्थायी पदोन्नति प्रदान करने के लिए सेवा सीमाएं निम्नलिखित हैं:

समय मान द्वारा:

लेफ्टिनेंट	कमीशन प्राप्त करने पर
कैप्टन	2 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा पूर्ण होने पर
मेजर	6 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा पूर्ण होने पर
लेफ्टिनेंट कर्नल	13 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा पूर्ण होने पर
कर्नल (टीएस)	26 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा पूर्ण होने पर

कर्नल
ब्रिगेडियर
मेजर जनरल
लेफ्टिनेंट जनरल
जनरल



अपेक्षित सेवा शर्तों को
पूरा करने के अध्यधीन
चयन आधार पर

(ख) भारतीय नौसेना अकादमी, एझीमला, केरल में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए

(i) भारतीय नौसेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए चयनित उम्मीदवार स्नातक कैडेट विशेष भर्ती योजना (जीएसईएस) पाठ्यक्रम के अंतर्गत कैडेटों के रूप में नियुक्त किया जाएंगे। कैडेटों का चयन सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई) जिसके बाद एसएसबी साक्षात्कार तथा चिकित्सीय परीक्षण होगा, में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के आधार पर होता है। चिकित्सीय जांच में फिट पाए गए मेधावी उम्मीदवारों को कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा/ हाईड्रो) की दर 26 रिक्तियों (जिसमें एनसीसी विशेष प्रवेश योजना के तहत नौसेना एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र धारक उम्मीदवारों के लिए 06 रिक्ति शामिल हैं) पर नियुक्त किया जाता है।

(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर से उम्मीदवारों का चयन - एनसीसी विशेष प्रवेश योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पात्रता, आयु सीमा तथा शैक्षणिक योग्यताएं, निम्नलिखित के अतिरिक्त वही होंगी, जो जीएसईएस उम्मीदवारों के मामले में हैं:-

- (क) एनसीसी कैडेट ने राष्ट्रीय कैडेट कोर की नौसेना विंग के वरिष्ठ प्रभाग में न्यूनतम तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए सेवा अवश्य की हो और उसके पास प्रमाण पत्र 'सी' (नौसेना) अवश्य हो। वे उम्मीदवार भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जिन्होंने प्रमाण पत्र 'सी' की परीक्षा दी है, अथवा देने के इच्छुक हैं। परन्तु, ऐसे उम्मीदवारों का अंतिम चयन, पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से पहले उनके द्वारा उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगा।
- (ख) एनसीसी कैडेट के पास उसके विश्वविद्यालय अथवा उसके कालेज के प्राचार्य द्वारा जारी उत्तम आचरण तथा चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- (ग) एनसीसी कैडेट, राष्ट्रीय कैडेट कोर की नौसेना विंग का वरिष्ठ प्रभाग छोड़ने के बारह महीने बाद आवेदन करने का पात्र नहीं रहेगा।
- (घ) आवेदन करने के लिए कैडेट, अपने आवेदन पत्र अपने कमान अधिकारी, एनसीसी यूनिट, नौसेना विंग के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो इसे संबंधित सर्किल कमांडर के माध्यम से एनसीसी निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को अग्रेषित करेगा। एनसीसी निदेशालय, इन आवेदन पत्रों को नौसेना प्रमुख को अग्रेषित करेगा। ये आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जमा किए जाएंगे। ये प्रपत्र सभी एनसीसी इकाइयों में उपलब्ध होंगे।
- (ङ) प्रथम दृष्ट्या उपयुक्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार तथा अन्य परीक्षणों के लिए उपस्थित होना होगा।
- (च) अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड की प्रक्रिया में कम से कम न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे। इस शर्त तथा उम्मीदवारों के चिकित्सकीय रूप से फिट होने की शर्त के अध्यधीन, सफल उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। अंतिम चयन, योग्यता क्रम के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा।

(iii) अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को नौसेना की कार्यकारी शाखा में कैडेट्स के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उनके द्वारा 35000/- रु. की राशि उस बैंक खाते में जमा की जाएगी जिसे वे प्रशिक्षण के लिए आने पर भारतीय स्टेट बैंक, एझीमला शाखा में खुलवाएंगे। चूंकि यह बड़ी राशि है अतः यह सलाह दी जाती है कि वे स्वयं को देय डिमांड ड्राफ्ट साथ लाएं। जमा की गई राशि निम्नलिखित व्यय के लिए उपयोग में लाई जाएगी:

(क) जेब खर्च/निजी व्यय

5000/- रु.

1000 रु. प्रति माह की दर से

(ख) धुलाई, सिविलियन बियरर, सिनेमा, बालों की कटाई और अन्य विविध सेवाएं	4,250/- रु. 850 रु. प्रति माह की दर से
---	---

(ग) अकादमी ब्लेजर, अकादमी टाई, अकादमी मुफ्ती, अकादमी खेल के कपड़े, जोगिंग शूज, जंगल बूट्स, स्विमिंग ट्रंक/सूट और बस्ते की सिलाई/खरीद पर व्यय	20,000/- रु.
---	--------------

(घ) सत्र के अंत में नौ सेना ओरियंटेशन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर ड्यूटी स्टेशन / अवकाश पर गृह नगर जाने के लिए वापसी यात्रा, पर होने वाला यात्रा व्यय	2,000 रु.
--	-----------

(ड) **बीमा:** जीएसईएस कैडेटों को छह माह की अवधि के लिए 20,00,000/- रु. (बीस लाख रुपये मात्र) के बीमा कवर के लिए 2303/- रूपए की वापस न की जाने वाली एकमुश्त राशि अदा करनी होगी। यदि उन्हें निर्वासित किया जाता है तो उनकी दिव्यांगता कवर राशि और अंशदान गैर-जीएसईएस कैडेटों के बराबर होगा। (एनजीआईएफ पत्र संख्या बीए/जीआईएस/215 दिनांक 06 नवंबर 2018)

(iv) प्रशिक्षण: चयनित उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश के बाद कैडेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

आरंभिक प्रशिक्षण, जिसका विवरण निम्नानुसार है, पूरा होने तक उम्मीदवार परिवीक्षाधीन रहेंगे।

(क) आईएनए, एड्मीमला का नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम	44 सप्ताह
(ख) प्रशिक्षण पोत पर अधिकारी समुद्री प्रशिक्षण	06 माह
(ग) सब-लेफ्टिनेंट एफ्लोट प्रशिक्षण	06 माह
(घ) सब-लेफ्टिनेंट (तकनीकी पाठ्यक्रम)	33 सप्ताह
(ड) संपूर्ण नौसेना अभिरक्षा प्रमाण-पत्र का पुरस्कार प्रदान किए जाने हेतु एफ्लोट अटैचमेंट	06-09 माह

(v) कमीशनिंग तथा अन्य हितलाभ: लगभग 18 माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरान्त, कैडेटों को सब-लेफ्टिनेंट के रैंक में नियुक्त किया जाएगा। कैरियर की संभावनाएं, अवकाश लाभ, अवकाश तथा यात्रा रियायत, पेंशन/सेवानिवृत्ति हितलाभ तथा नौसेना में अधिकारियों को प्रदत्त ऐसे समस्त विशेषाधिकार तथा विशेष सुविधाएं अन्य दोनों सेनाओं द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के सदृश होंगी।

(vi) भारतीय नौसेना अकादमी के कैडेटों के आवास एवं संबद्ध सेवाओं, पुस्तकों, वर्दी, भोजन और चिकित्सा उपचार सहित प्रशिक्षण लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। तथापि, जब तक वे कैडेट रहते हैं, उनका जेब खर्च तथा अन्य निजी खर्चों का भार उनके माता-पिता अथवा अभिभावक उठाएंगे। यदि कैडेट के माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय 1500 रु. से कम हो और वह कैडेट का जेब खर्च पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पूरा न कर सकते हों तो सरकार कैडेट के लिए 140 रु. प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। वित्तीय सहायता लेने के इच्छुक उम्मीदवार अपने चुने जाने के बाद तुरंत ही अपने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आवेदन पत्र दे सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट आवेदन पत्र को अपनी अनुशंसा के साथ प्रधान निदेशक, मानव संसाधन एवं भर्ती, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली-110011 को अग्रेषित करेगा।

टिप्पणी: आवश्यकता होने पर अतिरिक्त सूचना, मानव संसाधन, योजना एवं भर्ती निदेशालय, नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली-110011 से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) वायु सेना अकादमी में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए :

1. एफ (पी) पाठ्यक्रम में तीन प्रकार से प्रवेश लिया जा सकता है अर्थात् सी डी एस ई/एन सी सी विशेष प्रवेश/ए एफ सी ए टी। जो उम्मीदवार एक से अधिक माध्यमों से वायु सेना के लिए आवेदन करते हैं उनके प्रवेश के प्रकार के अनुसार वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष उनकी परीक्षा/साक्षात्कार लिया जाएगा। कम्प्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सी पी एस एस) में फेल होने वाले समान उम्मीदवारों की भारतीय वायु सेना में उड़ान शाखा के लिए परीक्षा नहीं ली जा सकती।

2. **प्रशिक्षण पर भेजना :** वायु सेना चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित और उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा शारीरिक रूप से फिट पाए जाने वाले उम्मीदवारों को मेरिट तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधे भर्ती उम्मीदवारों और एनसीसी उम्मीदवारों की मेरिट सूची अलग से तैयार की जाती है। सीधे भर्ती फ्लाइट (पायलट) उम्मीदवारों की मेरिट सूची सं.लो.से.आ. द्वारा लिखित परीक्षण में उम्मीदवारों के प्राप्तांकों तथा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जाती है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के उम्मीदवारों की मेरिट सूची उनके द्वारा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है।

3. **प्रशिक्षण:** वायु सेना अकादमी में फ्लाइट शाखा (पायलट) के लिए प्रशिक्षण की अवधि लगभग 74 सप्ताह होगी।

वायु सेना ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी नागरिक जीवन से आए और उड़ान प्रशिक्षण ले रहे फ्लाइट कैडेट के निकटतम परिजन को बीमा कवर के रूप में 8,600/- रुपये प्रति माह का मासिक अंशदान किए जाने पर किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में 1,25,00,000/- रुपये का भुगतान करेगी। यदि प्रशिक्षण ले रहे फ्लाइट कैडेट को चिकित्सकीय रूप से अमान्य होने पर प्रशिक्षण से हटा दिया जाता है, तो उसे 100% दिव्यांगता के लिए दिव्यांगता बीमा कवर के रूप में 62,50,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा और यह 20% तक आनुपातिक रूप से कम हो जाता है।

फ्लाइट कैडेटों को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 56,100/- प्रति माह (लेवल 10 में आरंभिक वेतन) की दर से एक निश्चित वजीफा (stipend) मिलेगा। “सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद दिए जाने वाले वजीफे को सभी प्रयोजनों के लिए वेतन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तथापि, प्रशिक्षण की अवधि को कमीशंड सेवा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।”

एक बार जब फ्लाइट कैडेटों को सरकार द्वारा वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो बीमा कवर 8,600/- रुपये प्रति माह के मासिक अंशदान के लिए उपरोक्तानुसार रहेगा। इस अंशदान में जोखिम तत्व और बचत तत्व शामिल हैं। 8600/- रुपये में से 5120/- रुपये की बचत राशि पर ब्याज मिलता रहेगा और सेवानिवृत्ति के समय उत्तरजीविता लाभ के रूप में उसका भुगतान किया जाएगा।

4. पदोन्नति की संभावनाएं :

प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उम्मीदवार फ्लाइट अधिकारी के रैंक में पास आउट होते हैं तथा उस रैंक के वेतनमान तथा भत्तों के हकदार हो जाते हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर तथा ग्रुप कैप्टन के पदों पर समयबद्ध पदोन्नति क्रमशः 02 वर्ष, 06 वर्ष, 13 वर्ष तथा 26 वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूरी करने पर दी जाती है। ग्रुप कैप्टन (चयन) और उच्चतर पदों में पदोन्नति केवल चयन के आधार पर की जाती है। होनहार अधिकारियों के लिए एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल तथा एयर मार्शल के पद पर पदोन्नति के अच्छे अवसर होते हैं।

5. छुट्टी और अवकाश यात्रा रियायत :

वार्षिक अवकाश - वर्ष में 60 दिन

आकस्मिक अवकाश - वर्ष में 20 दिन।

अधिकारी यात्रा में होने वाले संबंधित व्यय की पूर्ति हेतु 10 दिन तक के वार्षिक अवकाश का नकद भुगतान प्राप्त करने के साथ पूरे सेवाकाल के दौरान कुल 60 दिन की अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए प्राधिकृत है।

जब भी कोई अधिकारी अपनी सेवा के दूसरे वर्ष में पहली बार वार्षिक/ आकस्मिक अवकाश (चाहे उसके अवकाश की अवधि कुछ भी हो) लेता है, तो वह अपने कार्य करने के स्थान (यूनिट) से गृह नगर तक और फिर वापस अपने कार्य स्थान तक आने के लिए निःशुल्क वाहन भत्ता पाने का पात्र होगा, तत्पश्चात् प्रत्येक दूसरे वर्ष दूरी पर किसी प्रतिबंध के बिना गृह नगर के बदले में भारत में किसी भी स्थान के लिए या चयन किए गए निवास स्थान के लिए वाहन भत्ता पाने का पात्र होगा।

इसके अतिरिक्त प्राधिकृत स्थापना में रिक्तियों को भरने के लिए नियमित फ्लाईंग ड्यूटी पर तैनात फ्लाईंग शाखा के अधिकारियों को अवकाश लेने पर वर्ष में एक बार वारंट पर आने और जाने दोनों ओर की कुल 1600 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए रेल द्वारा उपयुक्त क्लास में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा होगी।

छुट्टी लेकर अपने खर्च पर यात्रा कर रहे अधिकारी अपनी यूनिट से भारत के भीतर किसी भी स्थान तक स्वयं, पत्नी तथा बच्चों के लिए किराए के 60 प्रतिशत का भुगतान करके पात्र श्रेणी अथवा निम्न श्रेणी से यात्रा हेतु एक कैलेंडर वर्ष में 6 एकतरफा यात्रा फॉर्म 'डी' के पात्र होंगे। इसमें से दो फॉर्म 'डी' में पूरे परिवार के साथ यात्रा की सुविधा दी जाएगी। परिवार में पत्नी तथा बच्चों के अलावा, अधिकारी के साथ रहने वाले और पूर्णतया आश्रित माता-पिता, बहनें और नाबालिग भाई शामिल होंगे।

6. **अन्य सुविधाएं :** अधिकारीगण तथा उनके परिवार के सदस्य निःशुल्क चिकित्सा सहायता, रियायती किराए पर आवास, सामूहिक बीमा योजना, सामूहिक आवास योजना, परिवार सहायता योजना, कैंटीन सुविधाओं आदि हेतु पात्र हैं।

(घ) **अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए:**

1. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश लेने से पूर्व:

(क) उम्मीदवार को इस आशय के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वह यह समझता / समझती है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप कोई चोट लगने, ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल ऑपरेशन या एनेस्थीसिया के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसे या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार से किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक नहीं होगा।

(ख) उसके माता-पिता या अभिभावक को इस आशय के बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण में माना जाए, उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापिस जाता है या कमीशन दिए जाने पर अस्वीकार कर देता है या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान विवाह करता है तो उस पर लगे शिक्षा शुल्क, भोजन, वस्त्र पर किए गए व्यय तथा दिए गए वेतन और भत्ते की कुल राशि या सरकार द्वारा निश्चित की गई राशि उसे वापिस करनी होगी।

2. जो उम्मीदवार अंतिम रूप से चुने जाएंगे उन्हें अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 49 सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। उम्मीदवारों को अधिकारी कैडेट के रूप में नामांकित किया जाएगा। सामान्य अनुशासनिक दृष्टि से अधिकारी कैडेटों पर अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के नियम तथा विनियम लागू होंगे।

3. यद्यपि प्रशिक्षण की लागत जिसमें आवास, पुस्तकें, वर्दी व भोजन तथा चिकित्सा सुविधा शामिल है सरकार द्वारा वहन की जाएगी तथापि उम्मीदवारों को अपना जेब खर्च स्वयं वहन करना होगा।

4. **प्रारंभिक डिपोजिट:** उम्मीदवार को प्रशिक्षण के लिए पहुंचने पर कमांडेंट, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई के पक्ष में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए 28,000/- रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा तथा यह चेन्नई में देय होगा:

(क)	थल सेना समूह बीमा फंड प्रीमियम (पहले दो महीने के लिए 10,000/- रुपए प्रति माह की दर से)	20,000/- रुपए
(ख)	आरंभिक जेब खर्च जिसमें प्रारंभिक आयुध सामग्री की लागत भी शामिल है	8,000/- रुपए

कुल

28,000/- रुपए

5. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथापि प्रशिक्षण प्रारंभ होने के बाद त्याग-पत्र देने वाले अधिकारी कैडेट का त्याग-पत्र मुख्यालय एआरटीआरएसी द्वारा स्वीकार होने तक उसे घर जाने की अनुमति दी जा सकती है। प्रस्थान से पूर्व प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाला खर्च उनसे वसूल किया जाएगा। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में उम्मीदवारों की भर्ती किए जाने से पूर्व उन्हें तथा उनके माता-पिता/अभिभावक को इस आशय का एक बॉन्ड भरना होगा।

6. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश लेने के बाद, कैडेटों को प्रशिक्षण के केवल पहले सत्र में सिविल सेंट्रल जॉब साक्षात्कार/सेवा चयन बोर्ड के लिए आवेदन करने व जाने की अनुमति होगी। तथापि उन अधिकारी कैडेटों से मेस के खर्च सहित प्रशिक्षण का कोई खर्च वसूल नहीं किया जाएगा जो चयन हो जाने पर भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में अथवा नौसेना और वायु सेना में समान कैडेट प्रशिक्षण संस्थान में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण लेने के लिए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई से त्याग पत्र देंगे।

7. जिस अधिकारी कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करने के उपयुक्त नहीं समझा जाएगा उसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रशिक्षण अवधि की लागत अदा करने के बाद सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सैन्य उम्मीदवारों को उनकी रेजिमेंट अथवा कोर में वापस भेज दिया जाएगा।

नोट: भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) में रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित शारीरिक मानकों को पूर्ण करना अनिवार्य है:-

क्रम सं.	गतिविधि	अकादमी में पहुंचने पर न्यूनतम शारीरिक मानक	
		अधिकारी कैडेट (पुरुष)	अधिकारी कैडेट (महिला)
(क)	2.4 किमी दौड़	10 मिनट 30 सैकण्ड	13 मिनट
(ख)	पुश अप	40	15
(ग)	पुल अप	06	02
(घ)	सिट अप	30	25
(ङ)	स्क्वाट्स	30 रिपिटीशन के दो सेट	
(च)	लंजेस	10 रिपिटीशन के दो सेट	
(छ)	तैराकी	तैराकी के मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए	

8. प्रशिक्षण :

चुने गए उम्मीदवारों को अधिकारी कैडेट के रूप में नामांकित किया जाएगा तथा वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 49 सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त करने के उपरांत अधिकारी कैडेट को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से लेफ्टिनेंट के पद पर अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी कैडेटों को मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा “रक्षा प्रबंधन और सामरिक अध्ययन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा” प्रदान किया जाएगा। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से अनुशासनिक कार्रवाई के आधार पर वापस भेजे जाने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

9. सेवा के नियम एवं शर्तें:

(क) परिवीक्षा की अवधि:

अधिकारी कमीशन प्राप्त करने की तारीख से 6 माह की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा/रहेगी। यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसे कमीशन प्राप्त करने के लिए अनुपयुक्त पाया गया तो उसकी परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने से पूर्व या उसके बाद किसी भी समय उसे निकाला जा सकता है।

(ख) सेवा का दायित्व:

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त कार्मिकों को समय-समय पर एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) द्वारा तय किए गए चयनित पदों पर भारत या विदेश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

(ग) नियुक्ति की अवधि:

नियमित थल सेना में पुरुषों एवं महिलाओं को अल्पकालिक सेवा कमीशन 14 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा अर्थात् प्रारंभ में 10 वर्ष जो आगे 4 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसे पुरुष एवं महिला अधिकारी जो 10 वर्ष के अल्पकालिक सेवा कमीशन की अवधि के बाद सेना में सेवा जारी रखने के इच्छुक होंगे, उन्हें सभी संदर्भों में पात्र तथा उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में समय-समय पर जारी संबंधित नियमों के अनुसार उनके अल्पकालिक सेवा कमीशन के दसवें वर्ष में स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने पर विचार किया जायेगा।

ऐसे अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी (पुरुष एवं महिला) जिनका स्थायी कमीशन के लिए चयन नहीं हुआ है लेकिन वे अन्यथा योग्य एवं उपयुक्त पाए जाते हैं, उन्हें 14 वर्षों की कुल अवधि के लिए (10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि सहित) अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में बने रहने का विकल्प दिया जाएगा। इस अवधि की समाप्ति पर उन्हें सेना से निर्मुक्त किया जाएगा।

(घ) सेवा का पांचवां वर्ष पूरा होने पर अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेवा मुक्त करने हेतु विशेष प्रावधान:

वे अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) पुरुष व महिला अधिकारी जिन्होंने डिग्री इंजीनियरी पाठ्यक्रम अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य विशेषज्ञ पाठ्यक्रम पूरा किया है अथवा कर रहे हैं और जो पांच वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेवा छोड़ना चाहते हैं उन्हें सेवा के 5वें वर्ष में सेवा छोड़ने हेतु सेना मुख्यालय को आवेदन करना होगा। तत्पश्चात्, सेना मुख्यालय योग्यता के आधार पर आवेदन पत्रों पर विचार करेगा और इस संबंध में सेना मुख्यालय का निर्णय अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा। अनुमोदन उपरांत इन अधिकारियों को सेवा के पांच वर्ष पूरा होने पर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे अल्प सेवा कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) पुरुष व महिला अधिकारी, जो इंजीनियरी में डिग्री पाठ्यक्रम या ऐसा ही कोई अन्य विशेषज्ञ पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं अथवा कर रहे हैं, वे 14 वर्ष की पूरी अवधि समाप्त होने से पहले तब तक कमीशन नहीं छोड़ सकते जब तक कि उनसे ऐसे पाठ्यक्रम की यथानिर्धारित लागत वसूल नहीं कर ली जाती। विमान चालकों के लिए अनिवार्य कॉम्बेट विमानन पाठ्यक्रम अल्पकालिक सेवा अधिकारियों के लिए विशेषज्ञ पाठ्यक्रम है। उन्हें डिग्री इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम/ऐसे अन्य विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित होने पर इस आशय का एक बॉण्ड भरना होगा।

(ङ) बढ़ाई गई अवधि के लिए विशेष प्रावधान:

बढ़ाई गई अवधि के दौरान, उन्हें निम्नलिखित आधारों पर सेना से सेवामुक्त होने की अनुमति प्रदान की जाएगी:

- (i) सिविल पद प्राप्त करने के लिए
- (ii) उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए
- (iii) अपना व्यवसाय आरंभ करने पर/पारिवारिक व्यवसाय अपनाने पर

(च) स्थायी पदोन्नति :

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त पुरुष तथा महिला अधिकारी इन नियमों के तहत निम्नानुसार स्थायी पदोन्नति के पात्र होंगे :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| (i) कैप्टन के रैंक हेतु | 2 वर्ष की गणना योग्य कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर |
| (ii) मेजर के रैंक हेतु | 6 वर्ष की गणना योग्य कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर । |
| (iii) लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक हेतु | 13 वर्ष की गणना योग्य कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर |

(छ) अनिवार्य शर्तें :

स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए निर्धारित उपर्युक्त स्थायी रैंक प्रदान करने हेतु अनिवार्य शर्तें तथा स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों पर पदोन्नति परीक्षा भाग ख तथा घ हेतु लागू पात्रता, समय सीमा और शास्तियां अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त पुरुष तथा महिला अधिकारियों पर भी लागू होंगी।

(ज) वरिष्ठता का समायोजन :

स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि की तुलना में एस.एस.सी. पुरुष तथा महिला अधिकारियों की अपेक्षाकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण अवधि को समायोजित करने के लिए एस.एस.सी. पुरुष व महिला अधिकारियों की वरिष्ठता विचाराधीन एस.एस.सी. पाठ्यक्रम तथा इसके समतुल्य स्थायी कमीशन पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि के बीच अंतर की सदृश (कोरेसपॉन्डिंग) अवधि द्वारा कम कर दी जाएगी। कैप्टन का पहला वास्तविक रैंक प्रदान करते समय इस वरिष्ठता के समायोजन को ध्यान में रखा जाएगा। संशोधित वरिष्ठता क्रम से कैप्टन, मेजर तथा लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में दिए जाने वाले वेतन और भत्ते प्रभावित नहीं होंगे।

(झ) गणना योग्य (रेकनेबल) कमीशन सेवा :

उपर्युक्त पैरा 9 (ज) के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अधीन, इन आदेशों के प्रयोजनार्थ, गणना योग्य कमीशन सेवा अवधि की गिनती किसी अधिकारी को अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करने की तारीख से की जाएगी। कोर्ट मार्शल अथवा सेना अधिनियम के अंतर्गत किसी दंड के कारण सेवाकाल में से घटाई गई अवधि और बिना अवकाश वाली अनुपस्थिति की अवधि गणना योग्य नहीं होगी। फर्लों दरों पर प्राप्त वेतन वाली अवधि और वह अवधि गणना योग्य होगी, जो युद्धबंदियों (पीओडब्ल्यू) के मामले में लागू वेतन दरों पर युद्धबंदी के रूप में बिताई गई हो। वेतन रहित अवकाश प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप किसी अधिकारी के मामले में सेवा अवधि घटा दिए जाने के कारण उसकी पदोन्नति के प्रयोजनार्थ आवश्यक सेवा अवधि के कम पड़ने की स्थिति में भी केवल घटाई गई उक्त अवधि को गणना योग्य माना जाएगा। हालांकि, ऐसे अधिकारी, उक्त अवधि को गणना में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप प्रदान किए गए मूल उच्चतर रैंक का वेतन और भत्ते पाने के पात्र उस तारीख से होंगे, जिस तारीख से उन्हें अर्हक सेवा अवधि के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई होती, यदि उक्त अवधि को गणना में शामिल नहीं किया गया होता, न कि उस तारीख से, जिस तारीख से उन्हें मूल रैंक प्रदान किया गया है।

(ञ) छुट्टी:

समय-समय पर यथासंशोधित, सेवा अवकाश नियमावली खंड-I सेना, के अनुसार अवकाश देय होगा।

छुट्टी के संबंध में ये अधिकारी अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारियों के लिए लागू नियमों से शासित होंगे जो सेवा अवकाश नियमावली खंड-I थल सेना के अध्याय IV में उल्लिखित हैं। वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से पास आउट करने पर तथा झूटी ग्रहण करने से पूर्व नियम 69 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार शासित होंगे।

एस.एस.सी महिला अधिकारी भी निम्नलिखित प्रकार की छुट्टी की हकदार होंगी:-

- **मातृत्व अवकाश :** थलसेना की महिला अधिकारी – सेवाओं के लिए अवकाश नियम खंड-I - थलसेना, चौथे संस्करण के अध्याय-IV का नियम 56।
- **शिशु देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव)** – थलसेना की महिला अधिकारी - सेवाओं के लिए अवकाश नियम खण्ड-I- थलसेना, चौथे संस्करण के अध्याय-IV का नियम 56क, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 19 नवंबर, 2018 के पत्र सं. बी/33922/एजी/पी एस-2(बी)/3080/डी (एजी-II) द्वारा यथासंशोधित।
- **शिशु गोद लेने के लिए अवकाश** – थलसेना की महिला अधिकारी - सेवाओं के लिए अवकाश नियम खंड-I - सेना, चौथे संस्करण के अध्याय-IV का नियम 56बी।

(ट) कमीशन की समाप्ति :

भारत सरकार द्वारा किसी भी अधिकारी के कमीशन को किसी भी समय निम्नलिखित कारण से समाप्त किया जा सकता है:-

- (i) कदाचार या संतोषजनक रूप से सेवा न करने पर, या
- (ii) स्वास्थ्य की दृष्टि से अनफिट होने पर, या

- (iii) उसकी सेवाओं की और अधिक आवश्यकता न होने पर, या
- (iv) उसके किसी निर्धारित परीक्षा या पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहने पर।

किसी अधिकारी को अनुकम्पा के आधार पर तीन महीने का नोटिस देने पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए भारत सरकार पूर्णतः निर्णायक होगी। अनुकम्पा के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति प्राप्त कर लेने पर कोई अधिकारी आवधिक उपदान पाने का पात्र नहीं होगा।

(ठ) आवधिक उपदान :

सिविल पक्ष से भर्ती किए गए एस०एस०सी०ओ० सेवा की पूरी की गई प्रत्येक छमाही के लिए ½ माह की परिलब्धियों की दर से आवधिक उपदान के पात्र होंगे।

(ड) रिजर्व में रहने का दायित्व :

सेवा की संविदात्मक सीमा की अल्पकालिक कमीशन सेवा या बढ़ाई गई कमीशन सेवा (जैसा भी मामला हो) पूर्ण करने के बाद निर्मुक्त होने पर वे पांच वर्ष की अवधि सहित अतिरिक्त दो वर्ष स्वैच्छिक आधार पर अथवा पुरुष अधिकारियों के मामले में 40 वर्ष की आयु तक तथा महिला अधिकारियों के मामले में 37 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, रिजर्व में रहेंगे।

(ढ) विविध :

सेवा संबंधी अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जो नियमित अधिकारियों के लिए लागू हैं जब तक उनका उपयुक्त उपबंधों के साथ कोई भिन्नता न हो।

MINISTRY OF DEFENCE
(Department of Military Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2026

RULES

No. B/59111/CDSE (II)-2026/Rtg CDSE 16(1)/2026-DMA(AG-II).— Combined Defence Services Examination (II), 2026 - will be conducted by the Union Public Service Commission on **13th September, 2026.**

Name of the Course	Approximate No. of Vacancies (Refer Note-iii)
(a) Indian Military Academy, Dehradun - 163 rd (DE) Course Commencing in July 2027.	100 [including 13 vacancies reserved for NCC 'C' Certificate (Army Wing) holders].
(b) Indian Naval Academy, Ezhimala- Course Commencing in July 2027 Executive Branch (General Service)/Hydro.	26 [including 06 vacancies for NCC 'C' Certificate (Naval Wing) holders and 01 for Hydro]
(c) Air Force Academy, Hyderabad-(Pre-Flying) Training Course Commencing in July 2027 i.e. 222 F (P) Course.	32 [including 03 vacancies reserved for NCC 'C' Certificate (Air Wing) holders through NCC Special Entry].
(d) Officers' Training Academy, Chennai (Madras) 126 th SSC (Men) (NT) (UPSC) Course Commencing in October 2027.	275
(e) Officers Training Academy, Chennai (Madras) 126 th SSC Women (NT) (UPSC) Course Commencing in October 2027.	18

NOTE (i) Indian Army publishes vacancies for Men and Women separately for various entries keeping into account the operational and administrative needs of the Force as envisaged in the existing and future scenarios. Though the vacancies for Men and Women categories as per SSC(NT) Courses are being notified through a common Notification and tested through a common written examination for administrative purpose, SSC(NT) Men and SSC(NT) Women are separate entries and the selection for both these categories is done **separately but in gender pure manner** as per vacancies **notified**. THE PREPARATION OF WRITTEN RESULTS AND FINAL MERIT LISTS FOR SSC(NT) MEN AND SSC(NT) WOMEN CATEGORIES WILL ALSO BE DONE SEPARATELY **AS PER VACANCY NOTIFIED**.

NOTE (ii): The date of holding the examination as mentioned above may be changed, if so required, at the discretion of the Commission.

NOTE (iii): The above number of vacancies is tentative and may be changed at any stage of selection process by Services H.Q. as per organization requirement at that point of time.

N.B. (I) (a): Candidates are required to specify clearly in respective column of the Exam Specific Module the Services for which he/she wishes to be considered in the order of his/her preference. A male candidate is advised to indicate as many preferences as he wishes to, subject to the condition given at paras (b) and (c) below, so that having regard to his rank in the order of merit due consideration can be given to his preferences when making appointment.

(b) (i) : If a male candidate is competing for Short Service Commission (Army) only, he should indicate OTA as the one and only choice. However, a male candidate competing for Short Service Commission Course at OTA as well as Permanent Commission course at IMA, Indian Naval Academy and Air Force Academy should indicate OTA as his last preference, otherwise OTA will be deemed to be the last choice even if it is given a higher preference by the candidate.

(b) (ii) : Women candidates are being considered only for Short Service Commission at OTA. They should indicate OTA as the only choice.

(c) Candidates who desire to join Air Force Academy must indicate AFA as first choice, as they have to be administered Computer Pilot Selection System (CPSS) and/or AF Medicals at Central Establishment/Institute of Aviation Medicines. Choice exercised for AFA as second/third etc. will be treated as invalid.

(d) Candidates should note that, except as provided in N.B. (II) below, they will be considered for appointment to those courses only for which they exercise their preference and for no other course(s). It is mandatory for a candidate to exercise at least one preference to be considered for service allocation.

(e) No request for addition/alteration in the preferences already indicated by a candidate in his/her application will be entertained. Second choice will come for consideration only when the first choice is not offered to the candidate by Services HQ. When first choice is offered and a candidate declines the same, his/her candidature will be cancelled for all other choices for regular Commission.

N.B. (II) All Left over Finally Qualified candidates of IMA/INA/AFA courses who could not be inducted for the said course due to the lack of vacancies, will be considered for SSC(NT), even if they have not indicated their choice for this course, subject to the following conditions:-

i) Vacancies are available after issuing the Joining Letters to those candidates who had applied and qualified for SSC(NT)

ii) Left over finally qualified candidates are willing to join SSC(NT)

iii) Such left over finally qualified and willing candidates will be placed in order of merit after the last candidate who had opted SSC(NT), subject to number of vacancies available for SSC(NT). Accordingly, such Left over candidates will be issued Joining Letter in order of merit.

NOTE 1 : NCC 'C' Certificate (Army Wing (Senior Division)/ Air Wing/Naval Wing) holders may also compete for the vacancies in the Short Service Commission Course but since there is no reservation of vacancies for them in this course, they will be treated as general candidates for the purpose of filling up vacancies in this course. Candidates who have yet to pass NCC 'C' Certificate (Army Wing(Senior Division)/Air Wing/Naval Wing) examination, but are otherwise eligible to compete for the reserved vacancies, may also apply but they will be required to submit the proof of passing the NCC 'C' Certificate (Army Wing(Senior Division)/Air Wing/Naval Wing) examination to reach the IHQ of MoD (Army)/Dte Gen of Rtg (Rtg A)CDSE Entry for SSC male candidates and SSC women entry for female candidates West Block III, R. K. Puram, New Delhi-110066 in case of IMA/SSC first choice candidates and IHQ of MOD (Navy) DMPPR, (OI&R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110 011 in case of Navy first choice candidates and Dte of Personnel (Offrs), Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001. Phone No. 23010231 Extn. 7645/7646/7610 in case of Air Force first choice candidates by 13th May 2027. To be eligible to compete for reserved vacancies the candidates should have served for not less than 3 academic years in the Senior Division Army Wing/ Air Wing/Naval Wing of National Cadet Corps and should not have been discharged from the

NCC for more than 24 months for IMA/Indian Naval Academy/Air Force Academy courses on the last date of receipt of Application in the Commission's Office.

NOTE 2 : In the event of sufficient number of qualified NCC 'C' Certificate (Army Wing (Senior Division)/Air Wing/Naval Wing) holders not becoming available on the results of the examination to fill all the vacancies reserved for them in the Indian Military Academy Course/Air Force Academy Course/Indian Naval Academy Course, the unfilled reserved vacancies shall be treated as unreserved and filled by general candidates. Admission to the above courses will be made on the results of the written examination to be conducted by the Commission followed by intelligence and personality test by the Services Selection Board of candidates who qualify in the written examination. The details regarding the (a) scheme, standard, syllabus of the examination, (b) Medical Standards and procedure for medical examination of officers in the armed forces and (c) Brief particulars of services etc. for candidates joining the Indian Military Academy, Indian Naval Academy, Air Force Academy and Officers' Training Academy are given in Appendices I, II and III respectively.

2. CONDITIONS OF ELIGIBILITY:

(a) Nationality: A candidate must either be:-

(i) a Citizen of India, or

(ii) a subject of Nepal, or

(iii) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia or Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (ii) and (iii) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will, however, not be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to the examination provisionally subject to the necessary certificate being given to him/her by the Govt. before declaration of result by UPSC.

(b) Age Limits, Sex and Marital Status:

For IMA— **Age:** 19 to 24 years. Unmarried male candidates born not earlier than 1st July, 2003 and not later than 1st July, 2008 only are eligible.

For Indian Naval Academy— **Age:** 19 to 24 years. Unmarried male candidates born not earlier than 1st July, 2003 and not later than 1st July, 2008 only are eligible.

For Air Force Academy—

Age: 20 to 24 years as on 1st July, 2027 i.e. born not earlier than 1st July, 2003 and not later than 1st July, 2007. Upper age limit for candidates holding valid and current Commercial Pilot Licence issued by DGCA (India) is relaxable upto 26 yrs. i.e. born not earlier than 1st July, 2001 and not later than 1st July, 2007 only are eligible.

Note : Candidate below 25 years of age must be unmarried. Marriage is not permitted during training. Married candidates aged 25 years or above are eligible to apply but during training period they will neither be provided married accommodation nor can they live with family out of the premises.

For Officers' Training Academy (SSC Course for men) — **Age:** 19 to 25 years. Unmarried male candidate born not earlier than 1st July 2002 and not later than 1st July, 2008 only are eligible.

For Officers' Training Academy (SSC Women Non-Technical Course) — **Age:** 19 to 25 years. Unmarried women, issueless widows who have not remarried and issueless divorcees (in possession of divorce documents) who have not remarried are eligible. They should have been born not earlier than 1st July, 2002 and not later than 1st July, 2008.

NOTE: Male divorcee/widower candidates cannot be treated as unmarried male for the purpose of their admission in IMA/INA/AFA/OTA, Chennai courses and accordingly they are not eligible for these courses.

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation/Secondary School Examination certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University, which extract must be certified by the proper authority of the University or in the Matriculation/Secondary School Examination certificate or an equivalent

examination certificate. No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, service records and the like will be accepted.

The expression Matriculation/Secondary School Examination Certificate in this part of the instruction includes the alternative certificates mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Secondary School Examination Certificate does not show the date of birth, or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must send in addition to the self-attested/certified copy of Matriculation/Secondary School Examination Certificate a self-attested/certified copy of a certificate from the Headmaster/Principal of the Institution from where he/she passed the Matriculation/Secondary School Examination showing the date of his/her birth or exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

NOTE-1 : Candidates should note that only the Date of Birth as recorded in the Matriculation/Secondary School Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of applications will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

NOTE-2 : Candidates should also note that once a Date of Birth has been submitted by them in the Online Application Form and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently (or at any other a subsequent examination of the Commission) on any ground whatsoever.

NOTE-3 : The candidates should exercise due care while entering their date of birth in the respective column of the Universal Registration Number (URN) profile for the Examination. If on verification at any subsequent stage any variation is found in their date of birth from the one entered in their Matriculation or equivalent examination certificate, disciplinary action will be taken against them by the Commission under the Rules.

NOTE 4: The candidates should also note that no addition/deletion/changes are allowed in the Online Application Form in the CDS Examination in any circumstances once it is submitted. **However, the Commission provides a one-time facility for candidates to update or modify their Universal Registration Number (URN) Profile. Please note that any changes made to the URN Profile will not be reflected in applications already submitted. The updated information will apply only to applications submitted after the candidate has made the necessary changes and successfully re-locked the URN Profile.**

(c) Educational Qualifications:

- (i) For I.M.A. and Officers' Training Academy, Chennai - Degree of a recognised University or equivalent.
- (ii) For Indian Naval Academy— A degree in Engineering or B.Sc. with Physics as core or elective subject from recognised University/ Institution (with Physics and Mathematics in 10+2 level).
- (iii) For Air Force Academy—Degree of a recognised University (with Physics and Mathematics at 10+2 level) or Bachelor of Engineering.

Graduates with first choice as Army/Navy/Air Force are to submit proof of Graduation/ provisional certificates on the date of commencement of the SSB Interview at the SSB.

Candidates who are studying in the final year/semester Degree course and have yet to pass the final year degree examination can also apply and they will be required to submit proof of passing the degree examination at the time of commencement of course to reach the IHQ of MoD (Army), Rtg 'A', CDSE Entry, West Block III, R. K. Puram, New Delhi-110066 in case of IMA/SSC first choice candidates, Naval HQ 'DMPR' (OI & R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011 in case of Navy first choice candidates and Dte of Personnel (Offrs), Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001. Phone No. 23010231 Extn. 7645/7646/7610 in case of Air Force first choice candidates by the following dates failing which their candidature will stand cancelled:

- (i) For admission to IMA on or before 1st July, 2027, Indian Naval Academy on or before 1st July, 2027 and Air Force Academy on or before 13th May, 2027.
- (ii) For admission to Officers' Training Academy, Chennai on or before 1st October, 2027.

Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognised by government as equivalent to professional and technical degrees would also be eligible for admission to the examination.

In exceptional cases, the Commission may treat a candidate, who does not possess any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he/she possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his/her admission to the examination.

NOTE I: Candidates, who have yet to pass their degree examination will be eligible only if they are studying in the final year of degree examination. Those candidates who have yet to qualify in the final year Degree Examination and are allowed to appear in the UPSC Examination should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing the Degree Examination by the prescribed date and no request for extending this date will be entertained on the grounds of late conduct of basic qualifying University Examination, delay in declaration of results or any other ground whatsoever. Candidates who are studying in the final year/semester degree course are required to submit at the time of SSB interview a bonafide certificate issued by University/College stating that they will be able to submit their proof of passing the graduation degree examination by the specified date, failing which their candidature will be cancelled.

Note II: Registration and Online Application Form :

A candidate who is willing to apply for Combined Defence Services Examination shall be required to apply online and submit the requisite information and supporting documents towards various claims, such as date of birth, educational qualification, etc. as may be sought by the Commission alongwith Common Application Form (CAF). For detailed instructions for filling up the form, the Notice for Combined Defence Services Examination (II), 2026 may be referred. The failure to provide the required information/documents alongwith the Universal Registration Number (URN) Profile, Common Application Form (CAF) and Examination Specific Form will entail cancellation of candidature for the examination.

NOTE III: Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of commission in the Defence Services shall not be eligible for admission to the examination and if admitted, their candidature will be cancelled.

NOTE IV: In the event of Air Force candidates being suspended from Flying training for failure to learn flying, they would be absorbed in the Navigation/Ground Duty (Non-Tech) Branches of the IAF. This will be subject to availability of vacancies and fulfilling the laid down qualitative requirements.

(d) Physical Standards:

Candidates must be physically fit according to physical standards for admission to **Combined Defence Services Examination (II), 2026** as per guidelines given in Appendix-II.

3. FEE :

Candidates (except Female/SC/ST candidates who are exempted from payment of fee) are required to pay a fee as prescribed in the Commission's Examination Notice.

4. All candidates whether already in Government Service including candidates serving in the Armed Forces, Government owned industrial undertakings or other similar organizations or in private employment should submit their applications online directly to the Commission.

N.B.I: Persons already in Government Service, whether in permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under the Public Enterprises are, however, required to inform their Head of Office/Department in writing that they have applied for the Examination.

N.B.II: Candidates serving in the Armed Forces are required to inform their Commanding Officer in writing that they have applied for this examination. They are also required to submit NOC in this regard at the time of SSB interview.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their applications will be liable to be rejected/candidatures will be liable to be cancelled.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

The candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility conditions for admission to the examination. Their admission to all the stages of the examination will be purely provisional subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after any stage of the examination, it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions their candidature will be cancelled by the Commission.

Candidates are advised to keep ready the following documents in original alongwith their self- attested copies soon after the declaration of the result of the written part of the examination which is likely to be declared in the month of October, 2026 for submission to the Army HQ/Naval HQ/Air HQ as the case may be:

- (1) Matriculation/Secondary School Examination Certificate or its equivalent showing date of birth.
- (2) Degree/Provisional Degree Certificate/Marks sheet showing clearly having passed degree examination and eligible for award of degree.

In the first instance all qualified candidates eligible for SSB interview will carry their original Matriculation/Secondary School Examination Certificate as also their Degree/Provisional Degree Certificate/Marks sheet with them while going to the Services Selection Centres for SSB interview. Candidates who have not yet qualified the final year Degree examination must carry with them a certificate in original from the Principal of the College/Institution stating that the candidate has appeared/is appearing at the final year Degree examination. Candidates who do not carry the above certificates with them while going to the Services Selection Centres shall not be allowed to appear for the SSB interview. No relaxation for production of the above certificates in original at the selection Centre is allowed, and candidates who do not carry with them any of these certificates in original will not be permitted to appear for their SSB test and interview and they will be sent back home at their own expense.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission for the examination.

7. (1) If any of their claims is found to be incorrect/false/fraud/fabricated they may render themselves liable to disciplinary action by the Commission in terms of the following provisions:

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of:—

(a) Obtaining support for candidature by the following means, namely :—

- (i) offering illegal gratification to; or
- (ii) applying pressure on; or
- (iii) blackmailing, or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination; or

(b) impersonation; or

(c) procuring impersonation by any person; or

(d) submitting fabricated/incorrect documents or documents which have been tampered with; or

(e) uploading irrelevant or incorrect photos/signature in the application form in place of actual photo/signature.

(f) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or

(g) resorting to the following means in connection with the candidature for the examination, namely :-

- (i) obtaining copy of question paper through improper means;
- (ii) finding out the particulars of the persons connected with secret work relating to the examination;
- (iii) influencing the examiners; or

(h) being in possession of or using unfair means during the examination; or

(i) writing obscene matter or drawing obscene sketches or irrelevant matter in the scripts; or

(j) misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or

(k) harassing, threatening or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of the examination; or

(l) being in possession of or using any mobile phone, (even in switched-off mode), pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or Bluetooth devices or any other equipment or related accessories (either in working or switched off mode) capable of being used as a communication device during the examination; or

(m) violating any of the instructions issued to candidates along with their e-Admit card permitting them to take the examination; or

(n) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

in addition to being liable to criminal prosecution/appropriate legal action as deemed fit under the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024, as amended from time to time, the candidate shall be disqualified by the Commission from the Examination held under these Rules; and/or shall be liable to be debarred either permanently or for a specified period :-

- (i) by the Commission, from any examination or selection held by them;
- (ii) by the Central Government from any employment under them;

and shall be liable to face disciplinary action under the appropriate rules if already in service under Government.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after:—

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as the candidate may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed for this purpose, into consideration.

(2) Any person who is found by the Commission to be guilty of colluding with a candidate(s) in committing or abetting the Commission of any of the misdeeds listed at Clauses (a) to (m) above will be liable to action in terms of the Clause (n) above.

8. The courses to which the candidates are admitted will be according to their eligibility as per age and educational qualifications for different courses and the preferences given by the candidates.

The candidates should note that their admission to the examination will be purely provisional based on the information given by them in the Application Form. This will be subject to verification of all the eligibility conditions.

Candidates must ensure that their e-mail IDs given in their applications are valid and active.

9. CORRESPONDENCE WITH THE ARMY/NAVAL/AIR HEAD QUARTERS:

All communications to the Army Headquarters should invariably contain the following particulars :

Name and year of the examination.
 Universal Registration Number (URN)
 Application Number
 Roll Number (if received)
 Name of candidate (in full and in block letters)
 Complete Postal Address as given in the application.
 Valid and active registered e-mail ID and registered mobile number

N.B. (i) Communications not containing the above particulars may not be attended to.

N.B. (ii) If a letter/communication is received from a candidate after an examination has been held and it does not give his/her full name and Roll number, it will be ignored and no action will be taken thereon.

N.B. (iii) Candidates recommended by the Commission for interview by the Services Selection Board who have changed their addresses subsequent to the submission of their application for the examination should immediately after announcement of the result of the written part of the examination notify the changed address, along with an unstamped self-addressed envelope, also to IHQ of MoD (Army)/Dte Gen of Rtg (Rtg A) CDSE Entry Section for males and SSC Women Entry Section for women candidates, West Block-III, Ground Floor, Wing 1, Rama Krishna Puram, New Delhi-110066 in case of IMA/SSC first choice candidates, IHQ of MOD(Navy) DMPR (OI&R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011 in case of Navy first choice candidates, and Dte of Personnel (Offrs), Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001. Phone No. 23010231 Extn. 7645/7646/7610 in case of Air Force first choice candidates. Failure to comply with this instruction will deprive the candidate of any claim to consideration in the event of his/her not receiving the summon letter for interview by the Services Selection Board. For all queries regarding allotment of centres, date of SSB interview, merit list, Joining Instructions, and any other relevant information regarding selection process, please visit website www.joinindianarmy.nic.in in case of candidates having IMA or OTA as their first choice, IHQ of MOD (NAVY)DMPR (OI&R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011 in the case of candidates having Navy as first choice and Dte of Personnel (Offrs), Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001. Phone No. 23010231 Extn. 7645/7646/7610 in the case of candidates having Air Force as first choice.

Candidates are requested to report for SSB interview on the date intimated to them in the call up letter for interview. Requests for postponing interview will only be considered in very genuine circumstances and that too if it is administratively convenient for which Army headquarters/Naval HQ /Air Headquarter will be the sole deciding authority. Such requests should be sent to Selection Centre/SSB from where the call for SSB interview has been received. Navy candidates can download their call letters from the naval website www.joinindiannavy.gov.in or send email at officer@navy.gov.in three weeks after publication of results.

N.B. In case a candidate does not get the interview call for SSB interview for IMA by 2nd week of February, 2027 and by 2nd week of May 2027 for OTA, he/she should write to IHQ of MoD(Army)/Rtg. CDSE Entry/SSC Women Entry for Officers Training Academy, West Block-III, Ramakrishna Puram, New Delhi-110066 regarding non-receipt of the call-up letter. For similar query by the Navy/Air Force candidates, having first choice as given ibid, should write to Naval Hqrs. or Air Hqrs. as mentioned in N.B. III (in case of non-receipt of call by 4th week of February 2027).

10. ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION, INTERVIEW OF QUALIFIED CANDIDATES, ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSES OF THE FINALLY QUALIFIED CANDIDATES.

The Union Public Service Commission shall prepare a list of candidates who obtain the minimum qualifying marks in the written examination as fixed by the Commission in their discretion. Candidates who are declared successful in the written exam will be detailed for intelligence and personality test at the Service Selection Board based on their preference by the respective service HQ. CANDIDATES WHO QUALIFY IN THE WRITTEN EXAM AND GIVEN THEIR FIRST CHOICE AS ARMY (IMA/OTA) ARE REQUIRED TO REGISTER THEMSELVES ON THE RECRUITING DIRECTORATE WEBSITE WWW.JOININDIANARMY.NIC.IN IN ORDER TO ENABLE THEM TO RECEIVE CALL UP INFORMATION FOR SSB INTERVIEW. THOSE CANDIDATES WHO HAVE ALREADY REGISTERED ON THE RECRUITING DIRECTORATE WEBSITE ARE ADVISED NOT TO REGISTER AGAIN. The email ID registered with DG Recruiting website i.e. www.joinindianarmy.nic.in and that given to UPSC must be same and unique to the applicant. Results of the test conducted by Service Selection Board will hold good for all the courses [i.e. Indian Military Academy (DE) Course, Dehradun, Indian Naval Academy, Ezhimala Course, Air Force Academy (Pre-Flying) Course, Hyderabad and SSC (NT) Course at OTA, Chennai] for which the candidate has qualified in the written exam, irrespective of the service HQ conducting it. Two-stage selection procedure based on Psychological Aptitude Test and intelligence Test has been introduced at Service Selection Boards. All the candidates will be put to stage one test on first day of reporting at Selection Centres. Only those candidates who qualify at stage one will be admitted to the second stage/remaining tests and all those who fail to pass stage one, will be returned. Only those candidate who qualify at stage two will be required to submit photocopy each of:- (i) Matriculation pass certificate or equivalent in support of date of birth, (ii) Bachelor's Degree/Provisional Degree alongwith mark sheets of all the years/semesters in support of educational qualification.

Candidates will appear before the Services Selection Board and undergo the test there at their own risk and will not be entitled to claim any compensation or other relief from Government in respect of any injury which they may sustain in the course of or as a result of any of the tests given to them at the Services Selection Board whether due to the negligence of any person or otherwise. Candidates will be required to sign a certificate to this effect on the form appended to the application.

To be acceptable, candidates should secure the minimum qualifying marks separately in (i) written examination and (ii) SSB test as fixed by the Commission and Service Selection Board respectively in their discretion. The candidates will be placed in the order of merit on the basis of the total marks secured by them in the written examination and in the SSB tests. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

Success at the examination confers no right of admission to the Indian Military Academy, Indian Naval Academy, Air Force Academy or the Officers' Training Academy as the case may be. The final selection will be made in order of merit subject to medical fitness and suitability in all other respects and number of vacancies available.

NOTE 1: Every candidate for the Air Force and Naval Aviation is given Pilot Aptitude Test only once. The Grade secured by him at the first test (CPSS and/or PABT) will therefore hold good for every subsequent interview at the Air Force Selection Board. Those who have failed Indian Navy Selection Board/Computer Pilot Selection System (CPSS) and/or Pilot Aptitude Battery Test earlier and those who habitually wear spectacles are not eligible for Air Force.

TEST/INTERVIEW AT AIR FORCE SELECTION BOARDS FOR THOSE CANDIDATES WHO APPLY FOR AIR FORCE THROUGH MORE THAN ONE SOURCE:- There are three modes of entry in F(P) course CDSE/NCC/AFCAT. Candidates who fail in Computer Pilot Selection System (CPSS) will be considered for other preferred services only if it is found that they have applied through CDS Exam. Candidates who qualify in the written

examination for IMA(D.E) Course and/or Navy (S.E) Course and / or Air Force Academy course irrespective of whether they have also qualified for SSC Course or not will be detailed for SSB test in February-March 2027 and candidates who qualify for SSC Course only will be detailed for SSB tests in April to June 2027.

10.1 ROUNDING OFF MARKS AND TIE BREAKING PRINCIPLES:

The provisions relating to the rounding off of marks, wherever applicable, and the principles for resolving cases of tie in scores shall be as prescribed below:-

(A) Rounding off Marks:

Marks obtained by the candidates shall be rounded off up to two decimal digits, at all stage(s) of the examination, by applying the standard rounding off principle, wherever applicable. Accordingly, while applying the tie-breaking principles, the rounded-off marks upto two decimal digits shall be considered for resolving all tie cases.

(B) Tie Breaking Principles:

(i) For IMA/INA/AFA : If the marks in aggregate (Final Marks) are equal, the candidate securing more marks in written total ("Paper-I : English, Paper-II : General Knowledge and Paper – III : Elementary Mathematics" put together) will be ranked higher;

For OTA : If the marks in aggregate (Final Marks) are equal, the candidate securing more marks in written total ("Paper-I : English and Paper-II : General Knowledge" put together) will be ranked higher;

(ii) If the marks at (i) above are equal, the candidate securing more marks in "Paper-II : General Knowledge" will be ranked higher;

(iii) If the marks at (i) and (ii) above are also equal, the candidate senior in age will be ranked higher; and

(iv) In cases where a tie persists even after applying the above tie-breaking principles, it will be resolved at the discretion of the Commission.

11. DISQUALIFICATION FOR ADMISSION TO THE TRAINING COURSE:

Candidates who were admitted to an earlier course at the National Defence Academy, Indian Military Academy, Air Force Academy, Indian Naval Academy, Officers' Training Academy, Chennai but were removed therefrom on disciplinary ground will not be considered for admission to the Indian Military Academy, Indian Naval Academy, Air Force Academy or for grant of Short Service Commission in the Army.

Candidates who were previously withdrawn from the Indian Military Academy for lack of Officer-like qualities will not be admitted to the Indian Military Academy.

Candidates who were previously selected as Special Entry Naval Cadets but were withdrawn from the National Defence Academy or from Naval Training Establishments for lack of Officer-like qualities will not be eligible for admission to the Indian Navy.

Candidates who were withdrawn from Indian Military Academy, Officers' Training Academy, NCC and Graduate course for lack of Officer-like qualities will not be considered for grant of Short Service Commission in the Army.

Candidates who were previously withdrawn from the NCC and Graduates' course for lack of Officer-like qualities will not be admitted to the Indian Military Academy.

12. RESTRICTIONS ON MARRIAGE DURING TRAINING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE INDIAN NAVAL ACADEMY OR IN THE AIR FORCE ACADEMY OR OFFICERS TRAINING ACADEMY, CHENNAI:

Candidates for the Indian Military Academy Course or Naval Academy Course or Indian Air Force Academy Course or Officers' Training Academy, Chennai must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his/her application though successful at this or any subsequent examination will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him/her by the Government.

13. OTHER RESTRICTIONS DURING TRAINING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE INDIAN NAVAL ACADEMY OR IN THE AIR FORCE ACADEMY:

After admission to the Indian Military Academy or the Indian Naval Academy or the Air Force Academy, candidates will not be considered for any other commission. They will also not be permitted to appear for any interview or examination after they have been finally selected for training in the Indian Military Academy or the Indian Naval Academy or the Air Force Academy.

ANIL KUMAR CHHAPOLIA, Jt Secy. (Estt and Coord)

APPENDIX-I

The scheme, standard and syllabus of the examination

A. SCHEME OF EXAMINATION

1. The Competitive examination comprises:

(a) Written examination as shown in para 2 below.

(b) Interview for intelligence and personality test (vide Part 'B' of this Appendix) of such candidates as may be called for interview at one of the Services Selection Centres.

2. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows:

(a) For Admission to Indian Military Academy, Indian Naval Academy and Air Force Academy:—

	Subject	Duration	Maximum Marks
1.	English	2 Hours	100
2.	General Knowledge	2 Hours	100
3.	Elementary Mathematics	2 Hours	100

(b) For Admission to Officers' Training Academy:—

	Subject	Duration	Maximum Marks
1.	English	2 Hours	100
2.	General Knowledge	2 Hours	100

The maximum marks allotted to the written examination and to the interviews will be equal for each course i.e. the maximum marks allotted to the written examination and to the interviews will be 300, 300, 300 and 200 each for admission to the Indian Military Academy, Indian Naval Academy, Air Force Academy and Officers' Training Academy respectively.

3. The papers in all the subjects will consist of objective type questions only. The question papers (Test Booklets) of General Knowledge and Elementary Mathematics will be set bilingually in Hindi as well as English.

4. In the question papers, wherever necessary, questions involving the metric system of Weights and Measures only will be set.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

6. The Commission has discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. The candidates are not permitted to use calculator for answering objective type papers (Test Booklets). They should not therefore bring the same inside the Examination Hall.

B. STANDARD AND SYLLABUS OF THE EXAMINATION**STANDARD**

The standard of the papers in Elementary Mathematics will be of Matriculation level. The standard of papers in other subjects will approximately be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

SYLLABUS**ENGLISH (Code No. 11)**

The question paper will be designed to test the candidates' understanding of English and workmanlike use of words.

GENERAL KNOWLEDGE (Code No. 12)

General Knowledge including knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidate should be able to answer without special study.

ELEMENTARY MATHEMATICS (Code No. 13)**ARITHMETIC**

Number System—Natural numbers, Integers, Rational and Real numbers. Fundamental operations, addition, subtraction, multiplication, division, Square roots, Decimal fractions. Unitary method, time and distance, time and work, percentages, applications to simple and compound interest, profit and loss, ratio and proportion, variation.

Elementary Number Theory—Division algorithm. Prime and composite numbers. Tests of divisibility by 2, 3, 4, 5, 9 and 11. Multiples and factors. Factorisation Theorem. H.C.F. and L.C.M. Euclidean algorithm. Logarithms to base 10, laws of logarithms, use of logarithmic tables.

ALGEBRA

Basic Operations, simple factors, Remainder Theorem, H.C.F., L.C.M., Theory of polynomials, solutions of quadratic equations, relation between its roots and coefficients (Only real roots to be considered). Simultaneous linear equations in two unknowns—analytical and graphical solutions. Simultaneous linear inequations in two variables and their solutions. Practical problems leading to two simultaneous linear equations or inequations in two variables or quadratic equations in one variable & their solutions. Set language and set notation, Rational expressions and conditional identities, Laws of indices.

TRIGONOMETRY

Sine $\times$, cosine $\times$, Tangent $\times$ when $0^\circ \leq \times \leq 90^\circ$ Values of sin $\times$, cos $\times$ and tan $\times$, for $\times = 0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ and 90°

Simple trigonometric identities.

Use of trigonometric tables.

Simple cases of heights and distances.

GEOMETRY

Lines and angles, Plane and plane figures, Theorems on (i) Properties of angles at a point, (ii) Parallel lines, (iii) Sides and angles of a triangle, (iv) Congruency of triangles, (v) Similar triangles, (vi) Concurrence of medians and altitudes, (vii) Properties of angles, sides and diagonals of a parallelogram, rectangle and square, (viii) Circles and its properties including tangents and normals, (ix) Loci.

MENSURATION

Areas of squares, rectangles, parallelograms, triangle and circle. Areas of figures which can be split up into these figures (Field Book), Surface area and volume of cuboids, lateral surface and volume of right circular cones and cylinders, surface area and volume of spheres.

STATISTICS

Collection and tabulation of statistical data, Graphical representation frequency polygons, histograms, bar charts, pie charts etc. Measures of central tendency.

INTELLIGENCE AND PERSONALITY TEST

The SSB procedure consists of two stage Selection process - stage I and stage II. Only those candidates who clear the stage I are permitted to appear for stage II. The details are:-

(a) Stage I comprises Officer Intelligence Rating (OIR) tests are Picture Perception * Description Test (PP&DT). The candidates will be shortlisted based on combination of performance in OIR Test and PP&DT.

(b) Stage II comprises Interview, Group Testing Officer Tasks, Psychology Tests and the Conference. These tests are conducted over 4 days. The details of these tests are given on the website www.joinindianarmy.nic.in.

The personality of a candidate is assessed by three different assessors viz. The Interviewing Officer (IO), Group Testing Officer (GTO) and the Psychologist. There are no separate weightage for each test. The marks are allotted by assessors only after taking into consideration the performance of the candidate holistically in all the test. In addition, marks for Conference are also allotted based on the initial performance of the Candidate in the three techniques and decision of the Board. All these have equal weightage.

The various tests of IO, GTO and Psych are designed to bring out the presence/absence of Officer Like Qualities and their trainability in a candidate. Accordingly, candidates are Recommended or Not Recommended at the SSB.

APPENDIX-II**MEDICAL STANDARDS AND PROCEDURE FOR MEDICAL EXAMINATION OF OFFICERS IN THE ARMED FORCES:**

The medical standards and procedures for the medical examination of candidates for entry as officers into the Armed Forces (Army, Navy and Air Force) shall be governed by the “**Joint Order Manual of Medical Standards for Entry into Armed Forces (1st Edition)**”.

This document is available on the official website of the Indian Army and can be accessed at www.joinindianarmy.nic.in under Home Page → Policies → Policies: Officer's Selection → Medical Standards for Entry into Armed Forces (1st Edition).

Note: Permanent body tattoos are only permitted on inner face of forearm i.e. from inside of elbow to the wrist and on the reverse side of palm/back (dorsal) side of hand. Permanent body tattoos on any other part of the body are not acceptable and candidates will be barred from further selection. Tribes with tattoo marks on the face or body as per their existing custom and traditions will be permitted on a case to case basis. Commandant Selection Centre will be competent authority for clearing such cases.

APPENDIX-(III)**(Brief particulars of service etc.)****Pay scale of Army Officers and equivalent ranks in Air Force and Navy****Pay**

Rank	Level	(Pay in Rs.)
Lieutenant	Level 10	56,100 -1,77,500
Captain	Level 10 B	61,300- 1,93,900
Major	Level 11	69,400 - 2,07,200
Lieutenant Colonel	Level 12 A	1,21,200 - 2,12,400
Colonel	Level 13	1,30,600-2,15,900
Brigadier	Level 13 A	1,39,600-2,17,600
Major General	Level 14	1,44,200-2,18,200
Lieutenant General HAG Scale	Level 15	1, 82, 200-2,24,100
HAG+Scale	Level 16	2,05,400 - 2,24,400
VCOAS/Army Cdr/ Lieutenant General	Level 17	2,25,000/-(fixed)
COAS	Level 18	2,50,000/-(fixed)

MSP to the officer is as follows

Military Service Pay(MSP) to the officers from the rank of Lieutenant to Brigadier	Rs 15,500 p.m. fixed

Fixed Stipend for cadet Training

Stipend to Officer Cadets during the entire duration of training in Service academies i.e. during training period at IMA, INA, AFA and OTA.	Rs 56,100/-p.m.* (Starting pay in Level 10)
---	---

* On successful commissioning, the pay in the Pay matrix of the Officer commissioned shall be fixed in first Cell of Level 10 and the period of training shall not be treated as commissioned service and arrears on account of admissible allowances, as applicable, for the training period shall be paid to cadets.

(i) **Other Allowances** Risk and Hardship allowance has been introduced by the 7th CPC under which an individual gets his entitled allowance as per risk and hardship of the area where he/she is serving-

(a)	Dearness Allowance	Admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the civilian personnel from time to time
-----	--------------------	--

(ii) **Dress allowance** *Rs 20,000/- per year.

(iii) **Free Ration in kind.** In Peace and Field areas.

(iv) **Transport Allowance (TPTA).**

Pay Level	Higher TPTA Cities (Rs. Per month)	Other Places (Rs. Per month)
10 and above	Rs. 7200+DA thereon	Rs. 3600+DA thereon

Note :-

(a) **Higher Tpt Cities (UA).** Hyderabad, Patna, Delhi, Ahmadabad, Surat, Bengaluru, Kochi, Kozhikode, Indore, Greater Mumbai, Nagpur, Pune, Jaipur, Chennai, Coimbatore, Ghaziabad, Kanpur, Lucknow, Kolkata.

(b) The allowance shall not be admissible to those service personnel who have been provided with the facility of Government transport.

(c) Officers in Pay Level 14 and above, who are entitled to use official car, will have the option to avail official car facility or to draw the TPTA at the rate of Rs. 15,750+DA per month.

(d) The allowance will not be admissible for the calendar month(s) wholly covered by leave.

(e) Physically disabled service personnel will continue to be paid at double rate, subject to a minimum of Rs. 2250 + DA per month.

(v) **Children Education Allowance.** *Rs. 2250/- per month

* The rate of DA index Allowances will be calculated at enhanced rate of 25% as the rate of DA crossed 50% w.e.f. 01-01-2024.

(i) Reimbursement should be done just once a year, after completion of the financial year (which for most schools coincides with the Academic year).

(ii) Certificate from the head of institution where the ward of government employee studies should be sufficient for this purpose. The certificate should confirm that the child studied in the school during the previous academic year.

(iii) Please note that pay and allowances and rules/provisions thereof are subject to revision from time to time

(A) FOR CANDIDATES JOINING THE INDIAN MILITARY ACADEMY, DEHRADUN:

1. Before the candidate joins the Indian Military Academy.

(a) He will be required to sign a certificate to the effect that he fully understands that he or his legal heirs shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which he may sustain. In the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) His parent or guardian will be required to sign a bond to the effect that if for any reason considered within his control, the candidate wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission if offered; he will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay & allowances, received as may be decided upon by Government.

2. Candidates finally selected will undergo a course of training for about 18 months. Candidates will be enrolled under the Army Act as Officer cadets. Officer cadets will be dealt with the ordinary disciplinary purposes under the rules and regulations of the Indian Military Academy, Dehradun.

3. While, the cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by Government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves.

4. An outfit allowance at the rate and under the general conditions applicable at the time for each cadet belonging to the Indian Military Academy will be placed at disposal of the Commandant of the Academy. The unexpended portion of the allowance will be :—

- (a) handed over to the cadet on his being granted a commission or
- (b) if he is not granted a commission refunded to the State.

On being granted a commission article of clothing and necessities purchased from the allowance shall become the personal property of the cadet. Such articles will, however be withdrawn from a cadet who resigns while under training or who is removed or withdrawn prior to commissioning. The article withdrawn will be disposed of to the best advantage of the State.

5. No candidate will normally be permitted to resign whilst under training. However, Officer Cadet resigning after the commencement of training may be allowed to proceed home pending acceptance of their resignation by HQ ARTRAC. Cost of training, messing and allied services will be recovered from them before their departure. They and their parents/guardians will be required to execute a bond to this effect before the candidates are allowed to join Indian Military Academy. An Officer Cadet who is not considered suitable to complete the full course of training may with permission of the Government, be discharged after paying the cost of Training laid down by the Govt. of India. Service candidates under these circumstances will be reverted back to their parent Unit.

6. Commission will be granted only on successful completion of training. The date of commission will be that following the date of successful completion of training. Commission will be permanent.

7. Pay and allowances, pensions, leave and other conditions of service after the grant of commission will be identified with those applicable from time to time to regular officers of the army.

8. Training: At the Indian Military Academy, Officer Cadets are given strenuous Military training for a period of 18 months aimed at turning out, officers capable of leading infantry subunits. On completion of successful training, Officer Cadets are granted Permanent Commission in the rank of Lt. subject to being medically fit, in SIH1A1P1E1.

9. **Army Group Insurance Fund (AGIF).** The Officer Cadets when in receipt of stipend are insured for ₹ 1.25 Cr as applicable to officers of the regular Army. Subscription at the rate of ₹ 12,500/- will have to be paid in advance on monthly basis by the Officer Cadets to become members under the AGI Scheme as applicable to Regular Army Officers. For those who are invalidated out by IMB on account of disability and not entitled to any pension will be provided ₹ 25 lakhs for 100 percent disability. This will be proportionately reduced to ₹ 5 lakhs for 20 percent disability. However, for less than 20 percent disability, an ex-gratia grant of ₹ 50,000/- only will be paid. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to diseases of pre-enrolment origin will not qualify for disability benefit and Ex-Gratia Grant. In addition, Officer Cadets withdrawn on disciplinary grounds, expelled as an undesirable or leaving the Academy voluntarily will not be eligible for disability benefits and Ex-Gratia.

10. The following monetary benefits are available to the Cadets (Direct)/NoKs in the event of invalidment on medical grounds/death of a Cadet (Direct) due to causes attributable to or aggravated by military training:

(a) In Case Of Disablement

- (i) Monthly Ex-gratia amount of Rs. 9,000/- per month.
- (ii) Ex-gratia disability award @ Rs. 16200/- per month shall be payable in addition for 100% of disability during period of disablement subject to prorata reduction in case the degree of disablement is less than 100%. No disability award shall be payable in cases where the degree of disablement is less than 20%.
- (iii) Constant Attendant Allowance (CAA) @ Rs 6750/- per month for 100% disabled on the recommendation of Invaliding Medical Board (IMB).

(b) IN CASE OF DEATH

- (i) Ex-gratia amount of Rs. 12.5 lakhs to the NoK.
- (ii) Ex-gratia amount of Rs. 9000/- per month to the NoK.

(c) The Ex-gratia awards to Cadets (Direct) / NoK, shall be sanctioned purely on ex-gratia basis and the same shall not be treated as pension for any purpose. However, dearness relief at applicable rates shall be granted on monthly ex-gratia as well as ex-gratia disability award. (Authority: GOI/MOD letter No.17(01)/2017(01)D(Pension/Policy) dated 04 Sep 2017 as amended vide para 11 & 12 of GOI/MOD letter No.17(02)/2016 D(Pen/Pol) dated 04 Sep 2017.

11. Terms and Conditions of Service

(i) POSTING

Army officers are liable to serve anywhere in India and abroad.

(ii) PROMOTION

Substantive promotions

The following are the service limits for the grant of the substantive promotion to higher ranks:

By time scale :

Lt.	On commission
Capt.	On completion of 2 years of reckonable commissioned service
Major	On completion of 6 years of reckonable commissioned service
Lt. Col.	On completion of 13 years of reckonable commissioned service
Col (TS)	On completion of 26 years of reckonable commissioned service

Col.	} On Selection basis subject to fulfilment of requisite service conditions.
Brigadier	
Major Gen.	
Lt. Gen.	
General	

(B) FOR CANDIDATES JOINING THE INDIAN NAVAL ACADEMY, EZHIMALA, KERALA

- (i) Candidates selected for training at the Indian Naval Academy will be appointed as Cadets under the Graduate Cadet Special Entry Scheme (GSSES) Course. The Selection of the cadets is based on the candidate qualifying in the

Combined Defence Service Examination (CDSE), followed by SSB interview and Medical Examination. Meritorious candidates who are medically fit are appointed to the 26 vacancies of Executive Branch (General Service/ Hydro) (including 06 for Naval NCC 'C' certificate holding candidates under the NCC Special Entry Scheme).

(ii) Selection of Cadets from the National Cadet Corps. The eligibility, age-limits, educational qualifications for candidates applying under the NCC Special Entry Scheme are the same as the GSES candidates except for the following:-

a) An NCC Cadet must have served for not less than three academic years in the Senior Division, Naval Wing of the National Cadet Corps, and must be in possession of Certificate "C" (Naval). Those who have appeared or intend to appear for certificate "C" examination are also eligible to apply but their final selection shall depend on producing the Certificate before the commencement of the course.

b) The NCC Cadet must be in possession of a certificate of good conduct and character from his University or Principal of his College.

c) An NCC Cadet shall not be eligible to apply after twelve months of leaving the Senior Division, Naval Wing of the National Cadet Corps.

d) In order to apply, a cadet must submit his application to his Officer Commanding, N.C.C Unit, Naval Wing, who shall forward it through the Circle Commander concerned to the N.C.C. Directorate, Ministry of Defence, New Delhi. The N.C.C. Directorate will forward the applications to the Chief of the Naval Staff. The applications shall be submitted on the prescribed form. These forms will be available at all N.C.C. Units.

e) Candidates who are considered prima facie suitable shall be required to appear before a Service Selection Board for interview and other tests.

f) Candidates to be finally selected should at least secure the minimum qualifying marks at the Services Selection Board. Subject to this condition and to their being declared medically fit, successful candidates shall be placed in the order of merit based on the total marks secured in the written examination and the Service Selection Board interview. The final selection shall be made in the order of merit up to the number of vacancies available.

(iii) Candidates, finally selected for training at the Academy will be appointed as cadets in the Executive Branch of the Navy. A sum of Rs. 35,000/- should be brought by them and deposited in the bank account, which they would be opening at the State Bank of India, Ezhimala branch, on arrival. Since it is a large amount, it is advised that they carry a demand draft payable to self. The deposit money would be used to meet the following expenditures:—

(a) Pocket/Personal expenses	Rs. 5,000/- @ Rs. 1,000/- per month
------------------------------	--

(b) Expenses on Laundry, Civilian-bearer, Cinema, hair cutting and other sundry services	Rs. 4,250/- @ Rs. 850/- per month
--	--------------------------------------

(c) Expenses on stitching/purchase of Academy Blazer, Academy tie, Academy Mufti, Academy Sportswear, Jogging shoes, Jungle boots, Swimming Trunk/suits and Satchels.	Rs.20,000/-
---	-------------

(d) Travelling expenses for proceeding to next duty station/home station on leave on completion of Naval Orientation Course on return Journey at the end of the term.	Rs. 2,000/-
---	-------------

(e) **Insurance:** The GSES cadets would have to pay Rs. 2303/- one time non-refundable contribution for an Insurance cover of Rs. 20,00,000/- (Rupees twenty lakh only) for a period of six months. Their disability cover and contribution if relegated would be at par with Non-GSES cadets (NGIF letter No. BA/GIS/215 dated 06 Nov 2018).

(iv) Training: Selected candidates may be appointed as cadets on reporting at the Indian Naval Academy.

The candidates shall remain under probation till completion of initial training which is as follows:-

(a) Naval Orientation Course at INA, Ezhimala	44 weeks
(b) Officers Sea Training at Training Ship	06 months
(c) Sub-Lieutenant Afloat training	06 months
(d) Sub-Lieutenant (Technical course)	33 weeks
(e) Afloat attachment for award of Full Naval watch-keeping Certificate	06-09 months

(v) Commissioning & Other Benefits: The cadets shall be commissioned in the rank of Sub-Lieutenant after successful completion of approximately 18 months of training. The careers prospects, leave benefits, leave and travel concession, pensionary/retirements benefits and all such perks and privileges provided to officers in the Navy is similar to those being provided by the two services.

(vi) The cost of training including accommodation and allied services, books, uniform, messing and medical treatment of the cadets of the Indian Naval Academy will be borne by the Government. Parents or guardians of cadets will, however, be required to meet their pocket and other private expenses while they are cadets. When a cadet's parent or guardian has an income less than Rs. 1500 per mensem and is unable to meet wholly or partly the pocket expenses of the cadet, financial assistance upto Rs.140 per mensem may be granted by the Government. A candidate desirous of securing financial assistance may immediately after his selection, submit an application through the District Magistrate of his District, who will with his recommendations, forward the application to the Principal Director of Manpower Planning & Recruitment, Naval Headquarters, New Delhi-110011.

Note: Further information, if desired, may be obtained from the Directorate of Manpower, Planning & Recruitment, Naval Headquarters, New Delhi-110011.

(C) FOR CANDIDATES JOINING THE AIR FORCE ACADEMY

1. There are three modes of entry in F(P) Course viz. CDSE/NCC Special Entry/AFCAT. Candidates who apply for Air Force through more than one source will be tested/interviewed at Air Force Selection Boards as per type of entry. Common candidate who fail in Computer Pilot Selection System (CPSS) cannot be tested for flying branch in IAF.

2. Detailing for Training—Candidates recommended by the AFSBs and found medically fit by appropriate medical establishment are detailed for training strictly on the basis of merit and availability of vacancies. Separate merit list are prepared for Direct Entry candidates through UPSC and for NCC candidates. The merit list for Direct Entry Flying (Pilot) candidates is based on the combined marks secured by the candidates in the tests conducted by the UPSC and at the Air Force Selection Boards. The merit list for NCC candidates is prepared on the basis of marks secured by them at AFSBs.

3. Training—The approximate duration of training for Flying Branch (Pilots) at the Air Force Academy will be 74 weeks.

Air Force Group Insurance Society would pay Rs. 1,25,00,000 for a monthly contribution of Rs. 8,600/ pm as insurance cover to the next-of-kin of a flight cadet drawn from Civil life and undergoing flying training in an unfortunate eventuality. In case flight cadet undergoing training is medically invalidated boarded out, he will be paid Rs. 62,50,000 as disability insurance cover for 100% disability and this reduces proportionately upto 20%.

Flight Cadets shall receive a fixed stipend of Rs. 56,100/- per month (starting pay in Level 10) for the period of training. "On successful completion of training, the stipend admitted will be converted as pay for all purposes. However, the period of training shall not be treated as commissioned service."

Once flight cadets are granted pay and allowances by government, the insurance cover will remain as above for a monthly contribution of Rs. 8,600/- pm. The Contribution comprises of Risk Element and Saving Element. The Saving Element of Rs. 5,120/- out of Rs. 8,600/- will continue to earn interest and paid as Survival Benefit at the time of Retirement.

4. Career Prospects :

After successful completion of training, the candidates pass out in the rank of Flying Officer and will be entitled to the pay and allowances of the rank. Time scale promotions to the rank of Flight Lieutenant, Squadron Leader, Wing Commander and Group Captain are granted on completion of 2 years, 6 years, 13 years and 26 years of successful service respectively. Grant of Group Captain (select) and higher ranks is only by selections. Promising officers have a fair chance of getting higher promotions to air ranks—Air Commodore, Air Vice Marshal and Air Marshal.

5. Leave and Leave Travel Concession:

Annual Leave—60 days a year.

Casual Leave—20 days a year.

Officers are authorised encashment of Annual Leave upto 10 days alongwith LTC to the extent of a total 60 days in a career span to cover incidental expenses on travel.

Officers when proceeding on annual/casual leave, irrespective of its duration, is entitled for free conveyance from place of duty (unit) to home town and back once in the second year of his service for the first time and thereafter every alternate year to any place in India in lieu of home town or selected place of residence without any distance restriction.

In addition, officers of Flying branch employed on regular Flying Duties in vacancies in authorised establishment are allowed, while proceeding on leave once every year on warrant a free rail journey in the appropriate class upto a total distance of 1600 kms. for the forward and return journeys both inclusive.

Officers when travelling on leave at their own expenses are entitled to travel by entitled class or lower class on payment of 60 per cent of the fare for self, wife and children from unit to any place within India on 6 one-way journey Form 'D' in a calendar year. Two of these Form 'D' may be availed of for the entire family. In addition to wife and children, family includes parents, sisters and minor brothers residing with and wholly dependent upon the officers.

6. Other Privileges:

The officers and their families are entitled to free medical aid, accommodation on concessional rent, group insurance scheme, group housing scheme, family assistance scheme, canteen facilities etc.

(D) FOR CANDIDATES JOINING THE OFFICERS TRAINING ACADEMY, CHENNAI

1. Before the candidate join the Officers Training Academy Chennai.

(a) He/she will be required to sign a certificate to the effect that he/she fully understands that he/she or his/her legal heirs shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which he/she may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him/her for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) His/her parent or guardian will be required to sign a bond to the effect that if for any reason considered within his/her control, the candidate wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission if offered or marries while under training at the Officers' Training Academy, he/she will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay & allowances, received as may be decided upon by Government.

2. Candidates finally selected will undergo a course of training at the Officers' Training Academy, for an approximate period of 49 weeks. Candidates will be enrolled as Officer Cadets. Officer Cadets will be dealt with the ordinary disciplinary purposes under the rules and regulations of the Officers' Training Academy.

3. While the cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by the government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves.

4. **Initial Deposit.** Candidates on arrival will deposit a bank draft for sum of Rs 28,000/- drawn in favour of the Commandant, OTA Chennai and payable at Chennai for the following purposes:-

(a)	Army Group Insurance Fund Premium (@Rs 10,000 pm for first two months)	Rs. 20,000/-
(b)	Initial pocket expenses incl cost of initial ordnance items	Rs. 8,000/-
Total		Rs. 28,000/-

5. No candidate will normally be permitted to resign whilst under training. However, Officer Cadets resigning after the commencement of training may be allowed to proceed home pending acceptance of their resignation by HQ ARTRAC. Cost of training, messing and allied services will be recovered from them before their departure. They and their parents/guardians will be required to execute a bond to this effect before the candidates are allowed to join Officers' Training Academy.

6. On joining OTA, cadets will be allowed to apply and proceed for civil central job interview/SSB in the first term of the training only. However, no cost of training including messing charges will be recovered from these Officer Cadets, who may resign from the Officers Training Academy, Chennai to undergo pre-commission training at the Indian Military Academy, Dehradun or corresponding cadet training establishment in Navy and Air Force, if so selected.

7. An Officer Cadet who is not considered suitable to complete the full course of training may, with permission of Government, be discharged after paying cost of training laid down by the Government of India. An Army candidate under these circumstances will be reverted to his Regiment or Corps.

NOTE. Candidates reporting to Indian Military Academy (IMA) and Officer Training Academy (OTA) are required to meet the following Physical Standards:-

Ser No	Activity	Minimum Physical Standards on Arrival	
		Officer Cadet (Men)	Officer Cadet (Women)
(a)	2.4 Km Run	10 Minutes 30 Second	13 Minutes
(b)	Push Up	40	15
(c)	Pull UP	06	02
(d)	Sit Up	30	25
(e)	Squats	Two Sets of 30 Repetitions	
(f)	Lunges	Two Sets of 10 Repetitions	
(g)	Swimming	Should know fundamentals of swimming	

8. Training :

Selected candidates will be enrolled as Officer Cadets and will undergo a course of training at the Officers' Academy for an approximate period of 49 Weeks. On successful completion of training Officer Cadets are granted Short Service Commission in the rank of Lt. from the date of successful completion of training. University of Madras will award "Post Graduate Diploma in Defence Management and Strategic Studies" to all cadets who successfully complete Pre-commissioning training at Officers Training Academy, Chennai. Candidates withdrawn from Officers' Training Academy on disciplinary grounds are not eligible to apply.

9. Terms and conditions of Services:

(a) Period of probation:

An officer will be on probation for a period of 6 months from the date he/she receives his/her commission. If he/she is reported on within the probationary period as unsuitable to retain his/her commission, he/she may be terminated any time whether before or after the expiry of the probationary period.

(b) Liability of Service:

Personnel granted Short Service Commission is liable to serve anywhere in India and abroad on selected appointments as decided by IHQ MOD (Army) from time to time.

(c) Tenure of Appointment:

Short Service Commission will be granted to Male and Female in the regular Army for 14 years i.e. for an initial period of 10 years extendable by a further period of 04 years. Male and Female officers who are willing to continue to serve in the Army after the expiry of period of ten years Short Service Commission may, if eligible and suitable in all

respects, be considered for the grant of Permanent Commission in the 10th year of their Short Service Commission in accordance with the relevant policies as issued from time to time.

Those SSC officers (Male and Female) who are not selected for grant of PC but are otherwise considered fit and suitable, will be given options to continue as SSCOs for a total period of 14 years (including the initial tenure of 10 years) on expiry of which they will be released from the Army.

(d) Special Provision for Release for SSC on completion of 5th Year of Service:

SSC (Non-Tech) Male & Female Officers, other than those who have undergone or are undergoing Degree Engineering Course or any other specialized course of such nature, who are desirous of leaving the service after completion of five years service, may, during the fifth year of service, apply to the Army HQs, for release. Army HQ will consider the applications of such officers on merits and the decision of the Army HQ will be final and irrevocable. On approval such officers will be released from service on completion of 5th year of service. Those SSC (Non-Tech) Male & Female Officers who have undergone or are undergoing Degree Engineering Course or any other specialised course of such nature, will not be released before expiry of full tenure of 14 years unless the cost of training of such specialized course as prescribed is recovered from them. The Combat Aviation Course which is mandatory for Aviators is specialized course for Short Service Commissioned Officers. They will be required to execute a bond to this effect on being nominated for undertaking Degree Engineering Course/Special Course of such nature.

(e) Special Provisions during Extended Tenure:

During extended tenure, they will be permitted to seek release from the Army on the following grounds:—

- (i) Taking up civil Job.
- (ii) Pursuing higher education.
- (iii) Starting own business/joining family business.

(f) Substantive Promotion :

SSCOs male and female granted Short Service Commission under these rules will be eligible for substantive promotion as under:—

- | | |
|-------------------------------|--|
| (i) To the rank of Capt. | on completion of 2 years reckonable commissioned service. |
| (ii) To the rank of Major | on completion of 6 years reckonable commissioned service. |
| (iii) To the rank of Lt. Col. | on completion of 13 years reckonable commissioned service. |

(g) Mandatory Conditions:

Mandatory conditions for grant of above substantive ranks laid down for Permanent Commissioned officers as well as the eligibility, time limit and penalties for promotions exam Part B and D as applicable to permanent commission officers also be similarly applicable to SSCOs male and female.

(h) Adjustment of Seniority:

To make adjustment for shorter training of SSC male and female vis-a vis PC officers, the seniority of SSC male and female officers will be depressed by the period corresponding to the difference in training period between the SSC course under consideration and the training period of its equivalent PC Course. This adjustment of seniority will be carried out at the time of grant of first substantive rank of captain. The revised seniority will have no effect on the pay and allowances granted in the rank of Capt., Major and Lt.Col.

(i) Reckonable Commissioned Service:

Subject to provision of Para 9 (h) above, reckonable commissioned service for the purpose of these orders will count from the date of grant of Short Service Commission to an officer. The period of service forfeited by sentence of Court Martial or any summary award under the Army Act and the period of absence without leave will not be reckonable. The period during which furlough rates of pay are drawn and the period of captivity at POWs rates of pay will be reckonable. The period of service for promotion lost by an officer in consequence of his/her having been granted leave without pay will also be reckonable. Such an officer will, however, become entitled to the pay and allowances of the higher substantive rank granted by the inclusion of this period only from the date on which he/she

would have qualified by service if this period had not been so reckoned and not with effect from the date of grant of substantive rank.

(j) Leave: Leave will be admissible in accordance with the Leave Rules for the Service Vol. I-Army as amended from time to time.

For leave, officers will be governed by rules applicable to Short Service Commission officers as given in Chapter IV of the Leave Rules for the Service Vol.I-Army. They will also be entitled to leave on passing out of the Officers Training Academy and before assumption of duties under the provision of the Rule 69 *ibid*.

SSC Women Officers will also be eligible for following kinds of Leave:

- **Maternity Leave:** Women Officers of the Army – Rule 56 of Chapter-IV of Leave Rule for the Services Vol.I-Army, Fourth Edition.

- **Child Care Leave:** Women Officers of the Army – Rule 56A of Chapter-IV of Leave Rules for the Services Vol.I-Army, Fourth Edition as amended vide GOI MoD letter No.B/33922/AG/PS-2(b)/3080/D(AG-II) dated 19 Nov 2018.

- **Child Adoption Leave:** Women Officers of the Army – Rule 56B of Chapter-IV of Leave Rules for the Services Vol.I-Army, Fourth Edition.

(k) Termination of Commission

The Commission of an officer may be terminated at any time by the Government of India for the following reasons:-

- (i) For misconduct or if services are found to be unsatisfactory: or
- (ii) on account of medical unfitness; or
- (iii) if his/her services are no longer required or
- (iv) if he/she fails to qualify in any prescribed test or course.

An officer may on giving 3 months notice be permitted to resign his/her commission on compassionate grounds of which the Government of India will be the sole judge. An officer who is permitted to resign his/her commission on compassionate grounds will not be eligible for terminal gratuity.

(l) Terminal Gratuity:

SSCO recruited from civil side are entitled to terminal gratuity @ 1/2 months emoluments for each completed six monthly period of service.

(m) Reserve Liability:

On being released on the expiry of contractual length of service of Short Service Commission or extension thereof (as the case may be) they will carry a reserve liability for a period of five years plus two years on voluntary basis or upto the age of 40 years in case of Male Officers and 37 years in case of Women Officers which is earlier.

(n) Miscellaneous:

All other terms and conditions of service where not at variance with the above provisions will be the same as for regular officers.
